



स्थानीय राजपत्र

तानसेन नगरपालिका, पाल्पाद्वारा प्रकाशित

खण्ड ८) तानसेन, असार महिना २८ गते, २०८१ (संख्या १)

भाग-१

तानसेन नगरपालिका

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ को उपदफा (१) बमोजिम तानसेन नगरपालिकाको नगरसभाले बनाएको तल लेखिए बमोजिमको ऐन सर्वसाधारणको जानकारीको लागि प्रकाशन गरिएको छ ।

संवत् २०८१ सालको ऐन नं. १

ऐनको नाम : तानसेन नगरपालिकाको आर्थिक ऐन, २०८१

प्रस्तावना : तानसेन नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्नको निमित्त स्थानीय कर तथा शुल्क संकलन गर्ने, छुट दिने तथा आय संकलनको प्रशासनिक व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, नेपालको संविधानको धारा २२८ को उपधारा (२) बमोजिम तानसेन नगरपालिकाको नगरसभाले यो ऐन बनाएको छ ।

१. **संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ:** (१) यस ऐनको नाम “तानसेन नगरपालिकाको आर्थिक ऐन, २०८१” रहेको छ ।
(२) यो ऐन २०८१ साल श्रावण १ गतेदेखि तानसेन नगरपालिका क्षेत्रमा लागू हुनेछ ।
२. **सम्पत्ति कर:**(१) नगरपालिका क्षेत्रभित्र कुनै व्यक्ति वा संस्थाको स्वामित्वमा रहेको बढीमा १ रोपनी सम्म जग्गा र त्यस्तो जग्गामा बनेको भौतिक संरचनाहरूलाई एकीकृत रूपमा हिसाब गरी सम्पत्ति कर लगाइने र असुल उपर गरिनेछ । तर सरकारी स्वामीत्वका जग्गा र गुठी जग्गामा सम्पत्ति कर लगाइने छैन ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम लगाइने सम्पत्ति करको दर अनुसूची (१) मा उल्लेख भएबमोजिम हुनेछ ।
(३) यस दफा बमोजिम सम्पत्ति कर लगाउदा घर जग्गाको आकार, प्रकार, बनौट र उपयोग, अचल सम्पत्तिको उत्पादनशील उपयोगको अवस्था, नागरिकको जीवनस्तर, आर्थिकस्तर, कर तिर्न सक्ने क्षमता, अचल सम्पत्तिको प्रचलित बजारमूल्य तथा ह्रासमूल्य समेतलाई विचार गरी कार्यपालिकाले आवश्यक कार्यविधि बनाई लागू गर्न सक्नेछ ।
३. **भूमि कर (मालपोत) :**नगरपालिका क्षेत्रभित्र अनुसूची (२) बमोजिम भूमि कर (मालपोत) लगाइने र असुल उपर गरिनेछ । तर दफा २ बमोजिम सम्पत्ति कर लगाएको जग्गामा भूमीकर (मालपोत) लगाइने छैन ।
४. **घर जग्गा बहाल कर:**(१) नगरपालिका क्षेत्रभित्र कुनै व्यक्तिले घर, पसल, ग्यारेज, गोदाम, टहरा, सेड (छप्पर), कारखाना, जग्गा वा पोखरी पुरै वा आंशिक तवरले बहालमा दिएकोमा वार्षिक बहाल रकममा बहाल कर लगाउन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम लगाइने घरजग्गा बहाल करको दर अनुसूची (३) मा उल्लेख भएबमोजिम हुनेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोजिम लगाइने बहाल रकम निर्धारण गर्नको लागि नगरपालिकाले घरजग्गा रहेको स्थान तथा संरचनाको प्रकारको आधारमा न्यूनतम बहाल मूल्य तोकी सोही आधारमा बहाल रकम निर्धारण गरी कर लिन सक्नेछ ।
५. **व्यवसाय कर:** (१)नगरपालिका क्षेत्रभित्र व्यापार, व्यवसायको प्रकृति वा सेवामा पूँजीगत लगानी र आर्थिक कारोवारका आधारमा व्यवसाय कर लगाइने र असुल उपर गरिनेछ ।
(२) उप दफा (१) बमोजिम व्यापार, व्यवसाय तथा सेवा सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्ति वा संस्थालाई व्यवसाय दर्ता गरी व्यवसाय इजाजत प्रदान गरिनेछ । इजाजत प्राप्त व्यवसायीहरूले वार्षिक रूपमा व्यवसाय कर चुक्ता गरी व्यवसाय नविकरण गर्नु पर्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम प्रदान गरिने व्यवसाय इजाजत दस्तुरको दर व्यापार, व्यवसाय तथा सेवा सञ्चालन गर्न लाग्ने लगानीको आधारमा अनुसूची (४) मा तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

- (४) उपदफा (२) बमोजिमको इजाजत विना नगरपालिका क्षेत्रभित्र कुनै पनि ब्यापार, व्यवसाय तथा सेवा सञ्चालन गर्न पाइने छैन ।
- (५) उपदफा (४) बमोजिम लिइने व्यवसाय करको दर अनुसूची (५) मा तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
- (६) यस दफा बमोजिमको कर उठाउनका लागि आवश्यक पर्ने कार्यविधि नगर कार्यपालिकाले स्वीकृत गरी लागु गर्न सक्नेछ ।
- ६. जडिबुटी, कवाडी र जीवजन्तु कर:** (१)नगरपालिका क्षेत्रभित्र कुनै व्यक्ति वा संस्थाले ऊन,खोटो, जडिबुटी, वनकस, कवाडी माल र प्रचलित कानूनले निषेध गरिएको जीवजन्तु वाहेकका अन्य मृत वा मारिएका जीवजन्तुको हाड, सिङ, प्वाँख, छाला जस्ता वस्तुको व्यवसायिक कारोवार गरे वापत अनुसूची (६) बमोजिम जडिबुटी, कवाडी तथा जीवजन्तुकर लगाइने र असूल उपर गरिनेछ ।
- स्पष्टीकरण:* यस दफाको प्रयोजनको लागि कारोवार भन्नाले विक्रेताले जारी गरेको विल वा वीजक वा लेनदेन भएको जनिने प्रमाणलाई सम्भन्नु पर्दछ र नगरपालिकाले कर लगाउँदा कारोवार रकमको निश्चित प्रतिशतका दरले लगाउने छ ।
- (२) उपदफा (१) बमोजिमका वस्तुको व्यवसायिक कारोवार गर्ने ब्यक्ति वा संस्थालाई नगरपालिकाले व्यवसाय इजाजत दिदा कर बुझाउने शर्त र विधि समेत तोकिए इजाजत दिनेछ ।
- ७. सवारी साधन कर:**(१) नगरपालिका क्षेत्रभित्रका सवारी साधनमा प्रदेशले सवारी साधन कर लगाउने र उठाउनेछ । तर टाँगा, रिक्सा, अटोरिक्सा र विद्युतीय रिक्सा तथा स्कुटरमा नगरपालिकाले सवारी साधन कर लगाउने र उठाउनेछ ।
- (२) उपदफा (१) बमोजिम नगरपालिकाले लगाउने भनी तोकिएका सवारी साधनहरूको दर्ता, नवीकरण र सवारी साधन करको दर अनुसूची (७) बमोजिम हुनेछ ।
- (३) प्रदेशले लगाएको सवारी साधन कर रकमबाट नगरपालिकाले प्राप्त गर्ने हिस्सा प्रचलित संघीय र प्रदेश कानूनमा तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
- ८. विज्ञापन कर:**(१) नगरपालिका क्षेत्रभित्र हुने विज्ञापन, प्रचारप्रसार आदिका लागि राख्न दिने साइनबोर्ड, ग्लोबोर्ड, स्टल आदिमा अनुसूची (८) बमोजिम विज्ञापन कर लगाइने र असूल उपर गरिनेछ ।
- (२) उपदफा (१) बमोजिमको कर उठाउनका लागि आवश्यक पर्ने कार्यविधि नगर कार्यपालिकाले स्वीकृत गरी लागु गर्न सक्नेछ ।
- (३) यस दफा बमोजिम नगरपालिकाले उठाएको विज्ञापन कर बापतको रकम प्रचलित संघीय र प्रदेश कानून बमोजिम सम्बन्धित प्रदेशसँग बाँडफाँड गरिनेछ ।
- ९. मनोरञ्जन कर:**(१) नगरपालिका क्षेत्रभित्र संचालित सिनेमाहल, साँस्कृतिक प्रदर्शनहल, थियटर सङ्गीत, मनोरञ्जन प्रदर्शनस्थल, जादु, सर्कस, चटक जस्ता मनोरञ्जन व्यवसाय सेवामा प्रदेश कानूनले तोके बमोजिम मनोरञ्जन कर लगाई असलु उपर गरिनेछ ।

तर प्रदेश कानून बनिनसकेको अवस्थामा यस दफा बमोजिम नगरपालिकाले अनुसूची (९) बमोजिमको दरमा मनोरञ्जन कर लगाइने र उठाइनेछ ।

(२) उप दफा (१) बमोजिम नगरपालिकाले उठाएको मनोरञ्जन कर बापतको रकम प्रचलित संघीय र प्रदेश कानून बमोजिम सम्बन्धित प्रदेशसंग बाँडफाँड गरिनेछ ।

१०. बहाल विटौरी शुल्क: (१) नगरपालिकाले आफूले निर्माण, रेखदेख वा सञ्चालन गरेका देहाय बमोजिमका सम्पत्तिहरुमा अनुसूची (१०) बमोजिमको दरमा बहाल विटौरी शुल्क लगाउन र उठाउन सक्नेछ :

(क) आफूले निर्माण गरेका वा आफ्नो स्वामित्वमा रहेका भवन, जग्गा वा अन्य सम्पत्ति,

(ख) आफ्नो रेखदेखमा रहेको सार्वजनिक स्थल, ऐलानी जग्गा वा बाटोको छेउको जग्गामा भएका अस्थाई टहरा, छाप्रा वा पसल वा आवास,

(ग) नगरपालिकाले तोकेको सार्वजनिक स्थल, हाटबजार, मेला, जात्रा आदिमा थापेका पसल,

(२) उपदफा (१)को खण्ड (क) र (ख) बमोजिमको सम्पत्तिमा बहाल विटौरी शुल्क उठाउनका लागि कार्यपालिकाले न्यूनतम दर निर्धारण गरी बोलपत्र वा दरभाउ पत्र वा डाँक बढावढको माध्यमबाट बहालमा दिन सक्नेछ ।

(३) उपदफा (१) को खण्ड (ग) बमोजिमको सम्पत्तिमा बहाल विटौरी शुल्क उठाउनका लागि नगरपालिकाले त्यस्तो स्थानमा खरीद बिक्री हुने वस्तु तथा सेवा एवम् कारोवारको आधारमा तोकेको न्यूनतम बहाल विटौरी शुल्कको दरमा बोलपत्र वा दरभाउ पत्र वा डाँक बढावढको माध्यमबाट बहाल विटौरीमा दिन सकिनेछ ।

(४) उपदफा (२) र (३) बमोजिम बहाल विटौरीमा दिदा शर्त सहित सम्भौता गरी दिनु पर्नेछ ।

११. पार्किङ्ग शुल्क:(१) नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र तोकेको पार्किङ्गस्थलमा सवारी साधनलाई पार्किङ्ग सुविधा उपलब्ध गराए वापत पार्किङ्ग गर्ने समयको आधारमा अनुसूची (११) मा उल्लेख भए बमोजिमको दरमा पार्किङ्ग शुल्क लगाइने र असूल उपर गरिनेछ ।

(२) नगरपालिकाले उपदफा (१) बमोजिम तोकेको स्थान वाहेक अन्य स्थानमा सवारी पार्किङ्ग गर्न रोक लगाउन सक्नेछ । तर राजमार्ग तथा सहायक राजमार्गको सडक अधिकार क्षेत्रभित्र यस दफा बमोजिम सवारी पार्किङ्ग गराइने र शुल्क लगाइने छैन ।

(३) नगरपालिकाले सवारी पार्किङ्ग क्षेत्र निर्धारण गर्दा सवारी आवागमनमा बाधा नपुग्ने गरी ट्राफिक प्रहरी कार्यालयसंगको समन्वयमा गर्नेछ ।

१२. सेवा शुल्क, दस्तुर:(१) नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र सञ्चालनमा रहेका केवलकार, ट्रेकिङ्ग, कायाकिङ्ग, क्यानोनिङ्ग, बञ्जी जम्प, जिपप्लायर, च्याफ्टिङ्ग, प्याराग्लाइडिङ्ग लगायतका स्थानीय पर्यटन, मनोरञ्जन तथा साहसिक खेलकुद सम्बन्धी सेवा वा व्यवसायमा सेवा शुल्क लगाइने र असूल उपर गरिनेछ ।

तर सीमा नदी वा अर्को गाउँपालिका वा नगरपालिकाको क्षेत्रलाई समेटेर सञ्चालन हुने सेवा वा व्यवसायमा सेवा शुल्क लगाउँदा सम्बन्धित गाउँपालिका/नगरपालिकासँग समन्वय गरी लगाइनेछ ।

(२) नगरपालिकाले निर्माण वा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गरेका स्थानीय पूर्वाधार वा उपलब्ध गराएको देहायको कुनै सेवा उपयोग गरे बापत सम्बन्धित सेवा प्रदायक तथा सेवाग्राहीलाई सेवा शुल्क, दस्तुर लगाइने र असुल उपर गरिनेछ :

- (क) खानेपानी, विजुली, अतिथि गृह, धर्मशाला, पुस्तकालय, सभागृह र त्यस्तै अन्य सेवा सुविधा,
- (ख) फोहोरमैला व्यवस्थापन, सरसफाई, ढल निकास, सडक बत्ती जस्ता सेवा सुविधा,
- (ग) शौचालय, पार्क, स्नानगृह, पौडी पोखरी, व्यायामशाला, गेष्टहाउस, पर्यटकीय स्थल, छात्रावास, हाटबजार, पशु बधशाला, शबदाहगृह, धोवीघाट र त्यस्तै अन्य सुविधा,
- (घ) सडक, बस पार्क, ढल, पुल जस्ता सेवा,
- (ङ) अचल सम्पत्ति वा अन्य कुनै विषयको मूल्याङ्कन सम्बन्धी सेवा,
- (च) नगरपालिकाले प्रदान गर्ने सिफारिश सम्बन्धी कुनै सेवा,
- (छ) ऐतिहासिक स्थल, पुरातात्विक स्थल एवं धार्मिक महत्वका सम्पदाको प्रवेश शुल्क ।

तर अध्ययन अनुसन्धान प्रयोजनका लागि ऐतिहासिक स्थल, पुरातात्विक स्थल र धार्मिक महत्वका सम्पदामा प्रवेश गर्दा नेपाली नागरिकलाई यस प्रकरण बमोजिम शुल्क लिन पाइने छैन ।

(३) नगरपालिकाले सहकारी संस्था, एफ.एम. रेडियो, “घ” बर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजत, विद्यालय स्थापना, ट्युसन तथा कोचिङ्ग सेन्टर, औषधि पसल, स्थानीय व्यापारिक फर्मको दर्ता, अनुमति, नविकरण तथा नियमन आदि सेवामा सेवा शुल्क दस्तुर तोकी लगाइने र उठाइनेछ ।

(४) दफा (१), (२) र (३) बमोजिम लगाइने सेवा शुल्क, दस्तुरको दर अनुसूची (१२) मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।

१३. विक्री तथा निकासी शुल्क :(१) नगरपालिकाले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको सम्पत्ति वा आफ्नो रेखदेखमा रहेको सार्वजनिक स्थलवाट उत्पादन हुने ढुंगा, गिट्टी, बालूवा, माटो, काठ दाउरा, जराजुरी, स्लेट आदि प्राकृतिक एवं खानीजन्य वस्तुहरुको विक्री गर्न सक्नेछ ।

(२) नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्र भित्र उत्पादन भै आफ्नो सिमा क्षेत्र भन्दा बाहिर निकासी हुने ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, माटो, काठ दाउरा, जराजुरी, स्लेट आदि प्राकृतिक एवं खानीजन्य वस्तुको वाह्य निकासीमा निकासी शुल्क लगाउन सक्नेछ ।

(३) उपदफा (१) र (२) बमोजिम नगरपालिकाले गर्ने विक्री तथा लगाउने निकासी शुल्कको दर अनुसूची (१३) मा तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

(४) कार्यपालिकाले आफ्नो प्रयोगमा नआउने पुराना र काम नलाग्ने वस्तु, उपकरण तथा सामानहरू लिलाम विक्री गर्न सक्नेछ ।

(५) कार्यपालिकाले नागरिकको सुविधाको लागि विभिन्न फाराम तथा पुस्तकहरू वा अन्य सेवा विक्री गर्न सक्नेछ ।

(६) उपदफा (१) बमोजिमका वस्तुहरू विक्री तथा उपदफा (२) बमोजिमको निकासी शुल्क असूलीका लागि विक्री तथा निकासीको परिमाण तथा दर निर्धारण गरी वोलपत्र, दरभाउ पत्र वा डाँक बढावढको माध्यमबाट गरिने छ ।

१४. घरजग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क : (१) घर जग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क प्रदेश कानूनले तोके बमोजिम लगाइने र उठाईनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमउठेको रकम संघीय र प्रदेश कानून बमोजिम बाँडफाँड गरिनेछ ।

(३) घर जग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क उठाउन नगरपालिकामा साधन, स्रोत, प्रविधि, जनशक्ति तथा कार्यालय व्यवस्थापन नभएसम्म नेपाल सरकारले तोकेको कार्यालय मार्फत उठाईनेछ ।

१५. दण्ड जरिवाना : (१) नगरपालिकाले निर्धारण गरेको कर, शुल्क तथा महसुल तोकिएको समयमा भुक्तानी नगरेमा सम्बन्धित कानूनमा दर तोकिएकोमा सोही बमोजिम र नतोकिएकोमा कार्यपालिकाबाट निर्धारित दरमा जरीवाना सहित बक्यौता असुल गर्नेछ ।

(२) नगरपालिकाले उपदफा (१) बाहेक प्रचलित कानून पालना नगरेको कसूरमा अनुसूची १४ बमोजिम दण्ड जरिवाना लगाउने अन्य दण्ड जरिवाना रकम सम्बन्धित कानूनमा तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

१६. कर छुट : (१) बार्षिक रुपमा तिर्नुपर्ने राजश्व सोही आर्थिक वर्षको पुस मसान्त भित्र बुझाउने करदातालाई नियमानुसार लाग्ने राजश्वको दश प्रतिशत छुट दिइनेछ ।

(२) संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार, कुटनीतिक नियोग, गुठी र लाभको उद्देश्य नराखी सञ्चालन हुने संघसंस्थाको सम्पत्ति, वस्तु तथा कारोवारमा यस ऐन बमोजिमको कर लिइने छैन ।

स्पष्टीकरण: लाभको उद्देश्य नराखी सञ्चालन हुने संघसंस्था भन्नाले सामुदायिक अस्पताल तथा स्वास्थ्य केन्द्र, विश्वविद्यालय र सोका आंगिक कलेजहरू, सरकारी वा सामुदायिक विद्यालयहरू, सार्वजनिक पुस्तकालय, वाचनालाय, बालगृह, अनाथाश्रम, बृद्धाश्रम जस्ता सामाजिक संघसंस्था सम्भन्नु पर्दछ ।

(३) विपद् वा अन्य यस्तै प्रकृतिका विशेष परिस्थितिको कारणले करदाताहरूले कर भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्था आएमा सोको स्पष्ट कारण खुलाई नगर सभाको निर्णय बमोजिम कर वा जरिवाना छुट दिन सकिनेछ ।

(४) कानूनमा व्यवस्था भएको अवस्थामा बाहेक नगरपालिकाको कुनै निकाय वा अधिकारीले कुनै प्रकारको कर, शुल्क, महसुल, दण्ड, जरिवाना छुट दिन पाउने छैन ।

तर स्थानीय आर्थिक कृयाकलापमा उल्लेखनीय योगदान पुऱ्याउने किसिमका उद्योग व्यवसायमा निश्चित अवधीसम्म सभाले बनाएको कानून बमोजिम कर, दस्तुर, शुल्क छुट दिन बाधा पर्ने छैन ।

१७. प्रशासकीय पुनरावलोकन र पुनरावेदन :(१) नगरपालिकाले गरेको कर, शुल्क, महसुल, दण्ड, जरिवाना सम्बन्धी निर्णयमा चित्त नबुझेमा करदाताले नगरपालिकामा प्रशासकीय पुनरावलोकनको लागि निवेदन दिन सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम परेको निवेदन उपर प्रशासकीय पुनरावलोकनको लागि कार्यपालिकाले प्रमुखको अध्यक्षतामा सम्बन्धित विषय विज्ञ समेत रहने गरी तीन सदस्यीय राजश्व प्रशासकीय पुनरावलोकन समिति गठन गर्नेछ । यस्तो समितिमा कर निर्धारणमा सम्लग्न पदाधिकारी वा कर्मचारीको सहभागिता रहनेछैन ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम पुनरावलोकनको लागि प्राप्त भएको निवेदन उपर पैतिस दिनभित्र छानविन तथा निर्णय गरी सम्बन्धित व्यक्तिलाई निर्णयको जानकारी दिनु पर्नेछ ।

(४) नगरपालिकाले तोकिएको समयमा यस दफा बमोजिम प्रशासकीय पुनरावलोकन नगरेको कारणले करदातालाई थप आर्थिक भार पर्न गई हानी नोक्सानी पर्न गएमा नगरपालिकाले त्यसको क्षतिपुर्ति दिनु पर्दछ ।

१८. ठेक्का आह्वान गर्न सक्ने :(१) यस ऐन बमोजिम संकलन गर्ने सेवा शुल्क र दस्तुर कार्यपालिकाले आवश्यकता अनुसार एक आर्थिक वर्षको लागि आय ठेक्का बन्दोबस्त गरी संकलन गर्नसक्नेछ ।

तर, आन्तरिक आय वृद्धि हुने देखिएमा वा पटक पटक ठेक्का बन्दोबस्त गर्दा प्रशासनिक दायित्व बढ्न जाने अवस्थामा बढीमा दुई वर्षसम्मको लागि अधिल्लो वर्षको दररेटमा नघट्टने गरी अधिल्लो वर्ष आय ठेक्का सम्भौता भएको फर्म/व्यक्तिलाई ठेक्का अवधिको म्याद थप गरी बन्दोबस्त गर्न सकिनेछ ।

(२) यस दफा बमोजिमको आय ठेक्का दिदा आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट स्थायी लेखा नम्बर वा मूल्य अभिवृद्धि कर दर्ता प्रमाण पत्र प्राप्त गरेका व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीले मात्र प्रतिस्पर्धा गर्ने गरी व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ ।

तर पटक पटक ठेक्का बन्दोबस्तको लागि सुचना आह्वान गर्दा ठेक्का बन्दोबस्त हुन नसकेमा नगरपालिकाको आन्तरिक आम्दानी वृद्धि हुने देखिएमा आमानतबाट पनि त्यस्ता कार्य गर्नको लागि बाधा पुग्ने छैन ।

(३) नगरपालिकाले सामान्यतया आर्थिक वर्ष शुरु हुनुभन्दा अगावै ठेक्का बन्दोबस्त गरी ठेक्का सम्भौता कार्य सम्पन्न गरिसक्नु पर्नेछ ।

(४) नगरपालिकाले कर संकलन गर्न सामान्यतया ठेक्का बन्दोबस्त गरिने छैन ।

(५) यस दफा बमोजिम गरिने आय ठेक्का बन्दोबस्तका लागि बोलपत्र, दरभाउपत्र तथा डाँक बढाबढ सम्बन्धी कार्यविधि र पट्टा कबुलियत, धरौटी, किस्ता र ठेक्का तोड्ने जस्ता कार्यविधिहरु अर्को व्यवस्था नभएसम्म स्थानीय निकाय (आर्थिक प्रशासन) नियमावली, २०६४ (संशोधन समेत) लाई आधार मानी गरिनेछ ।

१९. **सहयोग गर्नुपर्ने** :संघीय तथा प्रदेश सरकारका कार्यालयहरुले नगरपालिकाको राजस्व असुली कार्यमा आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।

२०. **प्रगतिशील कर प्रणाली अवलम्बन गरिने** :नगरपालिकाले करको दर निर्धारण गर्दा गरिब तथा विपन्न वर्गलाई कम बोझ पर्ने गरी प्रगतिशील कर प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्नेछ ।

२१. **कार्यविधि बनाउन सक्ने** : (१) ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्नको लागि नगरपालिकाले आवश्यक कार्यविधि वा निर्देशिका बनाई लागु गर्न सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम बनेको कार्यविधि वा निर्देशिका सम्बन्धित कार्यपालिकावाट स्वीकृत भई सार्वजनिक भए पछि लागु हुनेछ ।

२२. **प्रचलित कानुन बमोजिम हुने** :यस ऐनमा उल्लेख गरिएका विषयहरुमा यसै बमोजिम र उल्लेख नगरिएका विषयमा प्रचलित कानुनमा व्यवस्था भए बमोजिम हुनेछ ।

अनुसुची १

(ऐनको दफा २ को उपदफा(२) संग सम्बन्धित)

जिल्ला मालपोत कार्यालयको आ.व. २०८०/०८१ को न्यूनतम् रजिष्ट्रेशन मूल्याङ्कनको आधारमा आगामी आ.व. २०८१/०८२ को लागि सम्पत्ति मूल्याङ्कन दर देहाय बमोजिम कायम गरिएको छ ।

जग्गा मूल्याङ्कन दररेट

| सि.नं. | क्षेत्र | प्रति रोपनी रु. |
|--------|--|-----------------|
| | खण्ड क का जग्गाहरू | |
| १ | ता.न.पा.६ रेडक्रस ग्यारेज देखि पूर्व व्यारेक तर्फ जाने वीरेन्द्र फूलवारी हुँदै पन्थीटोल भर्ने सिढीसम्म, बसपार्क देखि उत्तर आन्दोलन चोक हुँदै पश्चिम तल्लो पेट्रोलपम्प भर्ने सिढीसम्म पर्ने मूलसडकसंग जोडिएका दायांबायांका जग्गाहरू | १८०१८००० |
| २ | आन्दोलन चोक देखि भीमसेन नारायणस्थान हुँदै देववाणी स्कूल पछाडिको मेहल्धारा जाने बाटोसम्म | १८०१८००० |
| ३ | आन्दोलन चोक देखि एभरेष्ट दांत उपचार केन्द्रसम्म | १८०१८००० |
| ४ | ता.न.पा. ३ शीतलपाटी देखि भगवती मन्दिर तर्फ जे.भि.टी. निस्कने सांघुरो ठाडोगल्लीसम्म शीतलपाटी देखि पश्चिम जे.भि.टी. स्कूलचोक (पुरानो नापी कार्यालय जाने चोक) सम्म, शीतलपाटी देखि पूर्व असन सांघुरो गल्ली (छेंडी), जनस्वास्थ्य कार्यालय हुँदै एमाले पार्टी कार्यालय जाने बाटो सम्म र पश्चिम पेट्रोलपम्प देखि टक्सारचोकको पुष्प स्मृति रहेको घरसम्म मूल सडकसंग जोडिएका जग्गाहरू ता.न.पा ४ विशालबजार क्षेत्र अन्तर्गत पर्ने ४ नं वडा कार्यालय रहेको रिडी चोक देखि मोहनकन्या हुँदै हुलाक कार्यालयसम्मका जग्गाहरू | १८०१८००० |
| | खण्ड ख मा पर्ने जग्गाहरू | |
| ५ | ता.न.पा.४ रेडक्रस भवन देखि कृषि कार्यालय जाने मूल सडकका दायां बायांसंग जोडिने जग्गाहरू । | १२३८१६०० |
| ६ | ता.न.पा. ४ त्रि.वि.क्याम्पस अगाडि देखि लहरेपिल पेट्रोल पम्प भर्ने बाटो देखि पश्चिम एमाले पार्टी कार्यालय जाने चोकसम्मका सडकसंग जोडिने जग्गाहरू । | १२३८१६०० |

| | | |
|----|--|----------|
| ७ | हुलाक कार्यालय अगाडि मेडिकल देखि तल एभरेष्ट दांत उपचार केन्द्र सम्मका सडकसंग जोडिने जग्गाहरू । | १२३८१६०० |
| ८ | असन छेंडी देखि नारायणस्थान चोकसम्मका ठाडो बाटोसंगजोडिने जग्गाहरू | १२३८१६०० |
| ९ | ता.न.पा. २ देववाणी स्कूल छेउको मेहल्धारा निस्कने चोक देखी मिसन सडक वेथल वोर्डिङ जाने बाटोसम्म सडकसंगजोडिने जग्गाहरू | १२३८१६०० |
| १० | शीतलपाटी देखि उत्तर ठाडो गल्ली र सो पश्चिम राजेन्द्र गोविन्दको गेट अगाडि चोक र पूर्व तर्फ जेनिथ निवाससम्म मूल सडकसंग जोडिने जग्गाहरू | १२३८१६०० |
| ११ | बर्तुड चौराहा क्षेत्र पूर्व राम्दीतर्फ जाने सडकको सडक विभाग कार्यालय देखि आठमुरे धारासम्म उत्तर दुर्गा राईस मिल सम्म र विद्युत ट्रान्सफर्मर सम्म सडक संग जोडिएका जग्गाहरू । | १२३८१६०० |
| | खण्ड ग का जग्गाहरू | |
| १२ | टक्सार रिडीचोक देखि निशानधारा र रिडीचोक देखि भगवती मन्दिर नजिकको नापी शाखा निस्कने साघुरो गल्ली सम्म सडकसंगजोडिने जग्गाहरू | ८१३१२०० |
| १३ | जे.भी.टी. स्कूल चोक देखि नापी शाखा र जे.भि.टी. उत्तर हुदै श्रीनगर चक्रपथसम्मका सडकसंग जोडिने जग्गाहरू | ८१३१२०० |
| १४ | एभरेष्ट दांत उपचार केन्द्र देखि ने.का. पार्टी कार्यालय हुदै मडितेल डिलरसम्म बाटोको दायांवायां जोडिने जग्गाहरू | ८१३१२०० |
| १५ | सिल्खानटोल ह्वाइटलेक होटल भित्री क्षेत्रका मोटरबाटोसंग जोडिने घडेरीहरू, विशालबजार क्षेत्रका भित्री जग्गाहरू, सरकारी वकिल कार्यालय आसपासका जग्गाहरू, महेन्द्रबोधि मा.वि.को उत्तर तर्फका समथर र आसपासका जग्गाहरू, रेडक्रस एम्बुलेन्स देखि घरेलु कार्यालयसम्मका बाटोसंगजोडिने जग्गाहरू परिवार नियोजनको भवन पछाडि उत्तर तर्फका समथर भाग समेत | ८१३१२०० |
| १६ | मेहल्धारा क्षेत्रका पि.सि.सि.मोटरबाटोसंग जोडिने घडेरी जग्गाहरू | ८१३१२०० |
| १७ | भगवतीटोल जेनिथ निवास देखि शिव मन्दिर चोकसम्मका जग्गाहरू | ८१३१२०० |

| | | |
|----|--|---------|
| १८ | लहरेपीपल नेकपा पार्टी कार्यालय हुँदै गाडी जाने ठाउसम्म, पेट्रोल पम्प देखि जिल्ला अस्पतालसम्म मोटरबाटोका दायाबायाका जग्गाहरू | ८१३१२०० |
| १९ | पन्थीटोल भर्ने बाटो देखि पूर्व व्यारेक गेटसम्मका जग्गाहरू | ८१३१२०० |
| २० | वेथल वोर्डिङ भर्ने बाटो देखि पूर्व वडा नं. १ को सिमानासम्मका जग्गाहरू | ८१३१२०० |
| २१ | टक्सार पुष्पस्मृति भवन देखि पश्चिम विद्युत ट्रान्सफर्मर सम्म मूलसडक संगजोडिने जग्गाहरू | ८१३१२०० |
| २२ | जे.भि.टी. स्कूल चोक देखि पश्चिम बसन्तपुर भीमसेन मन्दिरसम्मका मूल सडकसंगजोडिने जग्गाहरू | ८१३१२०० |
| २३ | वेथल वोर्डिङ जाने मोटरबाटो हुँदै आयुर्वेद केन्द्र हुँदै वडा नं. १ को सिमानाको मोटरसम्म बाटोसंगजोडिने घडेरी जग्गाहरू | ८१३१२०० |
| २४ | प्रभास बजार क्षेत्र राजमार्गको १५० मि. भित्रको घडेरी योग्य जग्गाहरू | ८१३१२०० |
| | खण्ड घ का जग्गाहरू | |
| २५ | मिसन सडकको ता.न.पा. २ को सिमाना देखि मिसन अस्पतालसम्म भीर पहरो बाहेक सडकसंगजोडिने जग्गाहरू र मिसन अस्पताल आसपास गाडी जाने मूल सडकसंग जोडिएका जग्गाहरू | ६७४५२०० |
| २६ | ठुटीपीपल शिवमन्दिर उत्तर हुँदै पाल्पा इन्जिनियरिङ कलेज हुँदै चक्रपथ, पप मा.वि. तलबाट मिशन अस्पतालको पानी टंकी हुँदै चक्रपथ, प.प. मा.वि. बाट गैरागाउ हुँदै मिसन जाने बाटोको ता.न.पा. ३ को सिमाना सम्मको मोटरबाटो, प.प. मा.वि. तलबाट असन छेडी सम्म मोटरबाटो सम्म जोडिने जग्गाहरू | ६७४५२०० |
| २७ | बसन्तपुर भीमसेन मन्दिर देखि तल्लो बाटो बतासेडाडा जाने र माथिल्लो बाटो कैलाशनगर हुँदै श्रीनगर होटलसम्म, जे.भि.टी. उत्तर आखा अस्पताल जाने चोक देखि सेन्ट कपितानियो हर्दमंगल सरको घर हुँदै श्रीनगर जाने चोकसम्म सडकसंग जोडिने जग्गाहरू | ६७४५२०० |
| २८ | भित्री भागका जग्गाहरू टक्सार क्षेत्र, त्रि.वि. क्याम्पस पछाडिको क्षेत्र (मकैवारी), सिल्खानटोल, लहरेपीपल उत्तर हवाईटलेक होटल क्षेत्र, बडिज्ञानटोल, को.ले.नि.का. | ६७४५२०० |

| | | |
|----|--|---------|
| | आसपास, ता.न.पा. २ क्षेत्र, महेन्द्रबोधि आसपास, जिल्ला अस्पताल आसपासक्षेत्रका जग्गाहरू | |
| २९ | बारुदखान घरेलु कार्यालय जानेबाटो दक्षिण कारागार जाने बाटो र भू संरक्षण कार्यालय जाने चोकसम्मका र चोक देखी भूसंरक्षण भर्ने डिल सम्मका मोटरबाटोसंगजोडिने भीर पहरुो बाहेकका घडेरी जग्गाहरू | ६७४५२०० |
| | खण्ड ड का जग्गाहरू | |
| ३० | होलाडदी घुम्ती देखि पूर्व वागवानी हुदै काजीपौवा धोवीधारा देखि वर्तुड चौराहा विद्युत ट्रान्सफर्मर सम्म सडकसंग जोडिने जग्गाहरू | ४६२०००० |
| ३१ | बारुदखान घरेलु कार्यालय देखि पूर्वतर्फका भित्री भागका घडेरी जग्गाहरू | ४६२०००० |
| ३२ | ता.न.पा. ३ शिवमन्दिर उत्तर र पूर्व प.प. मा.वि. आसपासमा पर्ने भित्री भागका घडेरी जग्गाहरू | ४६२०००० |
| ३३ | कृषि कार्यालय देखि पशु कार्यालय भर्ने बाटो वरिपरिका जग्गाहरू | ४६२०००० |
| ३४ | शिवमन्दिर पूर्व ता.न.पा. ३ को सिमाना देखि पूर्व गैरागाउ हुदैमिसन अस्पतालसम्म जाने मोटरबाटोसंग जोडिने, आयुर्वेद केन्द्र तल ता.न.पा. २ को सिमाना देखि श्रीनगर कलेजको जग्गा हुंद माथिल्लो बाटो (आपटारी हुदै जाने बाटो) हाल धुवघाट गैरागाउ कालो पत्रे मोटर बाटोसंगजोडिने मोटर बाटोको घडेरी जग्गाहरू (तल्लो नया बाटो बाहेक) | ४६२०००० |
| ३५ | साविक ता.न.पा. ५ र ६ हाल ३ का पोखरेल टोल र भट्टराई टोल देखि उत्तर पूर्व पौडेल निवास हुदै उत्तर तर्फ र दक्षिण तर्फ उत्तर पूर्व हुदै निशानधारासम्म बीच भागका जग्गाहरू | ४६२०००० |
| ३६ | कैलाशनगर चोक देखि श्रीनगर जाने पक्की सडक, रानीघाट तर्फ जाने पक्की ढलान मोटरबाटो संगजोडिने जग्गाहरू, पिच मोटरबाटोमा पर्ने घडेरी योग्य जग्गाहरू र त्यसको भित्री भागका घडेरी योग्य जग्गाहरू | ४६२०००० |
| | खण्ड च का जग्गाहरू | |
| ३७ | ता.न.पा. ३ मा पर्ने भित्री भागका घडेरी जग्गाहरू | ३४९८८०० |
| ३८ | ता.न.पा १ का मिसन अस्पताल जाने सडक देखि उत्तर दक्षिण तर्फका भीराला जग्गाहरू | ३४९८८०० |

| | | |
|----|---|---------|
| ३९ | रिडी तम्घास सडकको विद्युत ट्रान्सफर्मर देखि अप्पुभिलेजसम्मका घडेरी जग्गाहरू | ३४९८८०० |
| ४० | होलाडदी घुम्ती देखि वर्तुड विद्युत ट्रान्सफर्मरसम्मका मूल सडकका भीराला जग्गाहरू | ३४९८८०० |
| ४१ | बसपार्क देखि पन्थीटोल भर्नेबाटो हुँदै कारागार जाने मोटर बाटोसंग जोडिने जग्गाहरू | ३४९८८०० |
| ४२ | घरेलु कार्यालय देखि उत्तर मूल सडक भन्दा दक्षिण भित्री भागका जग्गाहरू | ३४९८८०० |
| ४३ | भित्री भागका जग्गाहरू (ता.न.पा.३ को सिमाना देखि गैरागाउँ हुँदै मिसन अस्पतालसम्म जाने मोटरबाटोसंगजोडिने र आयुर्वेद केन्द्र तल ता.न.पा. २ को सिमाना देखि श्रीनगर कलेजको जग्गा हुँदै माथिल्लो नयां मोटरबाटो आंपटारी हुँदै जाने बाटो) हाल कालो पत्रे भएको बाटोसंगजोडिने मोटर बाटोको घडेरी जग्गाहरू) | ३४९८८०० |
| ४४ | घरेलु कार्यालय दक्षिण पूर्व पशु कार्यालय पूर्व हुँदै भूसंरक्षण कार्यालय भर्ने मोटरबाटो र सो देखि पूर्व कारागार जाने मोटरबाटोको कारागार चोकसम्म र सो दक्षिण काजीपौवा निस्कने पुरानो गोरेटो बाटो देखि तल राजमार्गसम्म जोडिने बाहेक मोटरबाटोसंगजोडिने घडेरी जग्गाहरू | ३४९८८०० |
| ४५ | बसपार्क तल गन्धर्व टोलका घडेरी जग्गाहरू | ३४९८८०० |
| ४६ | आंखा अस्पताल तलका भित्री भीरालो भागका घडेरी जग्गाहरू | ३४९८८०० |
| | खण्ड छ का जग्गाहरू | |
| ४७ | गौरीशंकर होटलचोक देखि होलाडदी भर्ने बाटोसंगजोडिने घडेरीयोग्य जग्गाहरू | ३६९६००० |
| ४८ | लुम्बिनी मेडिकल कलेज देखि १५० मि. भन्दा बाहिर र ३०० मी. भित्रका घडेरी योग्य जग्गाहरू | ३६९६००० |
| | खण्ड ज का जग्गाहरू | |
| ४९ | काजीपौवा देखि बहुमुखी क्याम्पस पछाडिसम्म | २९५६८०० |
| ५० | कारागार देखि जैसीचौपारीसम्म मोटरबाटोमा पर्ने घडेरी जग्गाहरू | २९५६८०० |

| | | |
|---------------------------|--|---------|
| ५१ | धोवीधारा देखि युवराज ज्वालीको घर हुँदै रामप्रसाद ज्वालीको घरसम्म मोटरबाटोमा पर्ने घडेरी जग्गाहरू | २९५६८०० |
| ५२ | वर्तुड सडक कार्यालय देखि सिंचाइ कार्यालयसम्मका राजमार्गसंग जोडिने घडेरी जग्गाहरू | २९५६८०० |
| ५३ | एमाले पार्टी कार्यालय पछाडीका भित्री भागका समथर घडेरी जग्गाहरू | २९५६८०० |
| खण्ड भ का जग्गाहरू | | |
| ५४ | काजीपौवा दक्षिणपूर्व हुँदै तानसेन बहुमुखी क्याम्पसको पछाडि निर्माणाधीन घडेरी जग्गा र सो देखि पूर्व गोविन्द घिमिरेको घर, सो देखि पूर्व भानुभक्त भट्टराईको घर, सो देखि पूर्व दयाराम पाण्डेको भाइको घर र सो देखि पूर्व वर्तुडको विद्युत ट्रान्सफर्मरसम्म र सो देखि पश्चिम राजमार्ग हुँदै काजी पौवासम्मका राजमार्गसंगनजोडिने भित्री मोटरबाटो सगजोडिने जग्गाहरू | २४०२४०० |
| ५५ | ता.न.पा. ५ कैलाशनगर क्षेत्रका भित्री भागका जग्गाहरू | २४०२४०० |
| खण्ड ज का जग्गाहरू | | |
| ५६ | घरेलु कार्यालय दक्षिण पूर्व पशु कार्यालय पूर्व हुँदै भूसंरक्षण कार्यालय भर्ने मोटरबाटो र सो देखि पूर्व कारागार जाने मोटर बाटोको कारागार चोकसम्म र सो दक्षिण काजीपौवा निस्कने पुरानो गारेटो बाटो देखि तल राजमार्गसम्म जोडिने बाहेक कच्ची मोटरबाटोसंग जोडिने घडेरी जग्गाहरू | २४०२४०० |
| ५७ | ता.न.पा वडा नं. ६ बसपार्क मुनि पन्थीटोल, कारागार क्षेत्र र कारागार पूर्व साविक वर्तुड जैसी चौपारीसम्म र कारागार दक्षिण रागमार्गसंग नजोडिने घडेरी जग्गाहरू | २४०२४०० |
| ५८ | घरेलु कार्यालय देखि पूर्व कारागार तर्फका भिराला जग्गाहरू | २४०२४०० |
| खण्ड ट का जग्गाहरू | | |
| ५९ | काजीपौवा क्षेत्रका भित्री भागका जग्गाहरू | १४७८४०० |
| ६० | ता.न.पा. वडा नं. ३, ४ र ५ मा पर्ने होलाडदी भागका जग्गाहरू र जिल्ला अस्पताल र एमाले पार्टी कार्यालय पछाडिका भीराला जग्गाहरू | १४७८४०० |
| ६१ | प्रभास क्षेत्रका अन्य भित्री भागका घडेरी जग्गाहरू | १४७८४०० |

| | | |
|----|---|---------|
| ६२ | अमरगञ्ज क्षेत्र र सो देखि तलका वरिपरिका जग्गाहरू | १४७८४०० |
| ६३ | मुक्तिनाथ एफएम भन्दा उत्तर तर्फ श्रीनगर जाने मोटरबाटो भन्दा उत्तर तर्फ तल्लो भागमा पर्ने भित्री भागका जग्गाहरू | १४७८४०० |
| | खण्ड ठ का जग्गाहरू | |
| ६४ | साविक वर्तुड ६,८,९ हाल ता.न.पा. १ मा पर्ने गोर्खेकोट, ओढारे, ध्रुवघाट, आंपटारीक्षेत्रका मोटरबाटोसंग जोडिने घडेरी योग्य जग्गाहरू | २४०२४०० |
| ६५ | श्रीनगर ईन्टिग्रेटेड कलेजको जग्गा देखि आंपटारी हुँदै भवन कार्यालय हुँदै राजमार्ग सम्मका र स्वामीको रुखसम्म निस्कने कच्ची मोटर बाटोसम्मका घडेरी योग्य जग्गाहरू | १३८६००० |
| ६६ | ध्रुवघाट ओढारे आंपटारी क्षेत्रका भित्री मोटरबाटोसंगजोडिने ४ आना भन्दा कमका घडेरीहरू | १०१६४०० |
| ६७ | माडी भ्यू पोइन्ट देखि कुन्सरे क्षेत्र तर्फ जाने बाटोको स्वामीडाडासम्मका घडेरी योग्य जग्गाहरू | ५५४४०० |
| ६८ | स्वामीडाडा देखि बगनासकालीको सिमाना चक्रपथसम्मका घडेरीयोग्य जग्गाहरू | २७७२०० |
| ६९ | सिंचाई कार्यालय देखि पुर्व तिवारी डाडां कोक्रङ्गा र स्वामी डाडांको भित्री कच्ची मोटर बाटो संग जोडिने घडेरीहरू | २५२००० |

| | | | | | |
|----|--|--------|--------|--------|-------|
| | खण्ड ड का जग्गाहरू | | | | |
| ७० | प्रभास क्षेत्र बाहेक ३०० मी. पूर्व तर्फ कच्ची सडकसंग जोडिने घडेरी योग्य जग्गाहरू | ६४६८०० | | | |
| ७१ | काजीपौवा देखि विसमुरे बुद्धनगर जाने मोटरबाटोसंग जोडिने समथर घडेरी जग्गाहरू | ७३९२०० | | | |
| ७२ | नयांगाउं देखि रक्साह हुँदै प्रभाससम्मका मोटरबाटोसंग जोडिने घडेरी योग्य जग्गाहरू | ६४६८०० | | | |
| ७३ | कुन्सरे क्षेत्र लगायतको माडी रिडरोडसंग जोडिने घडेरी योग्य जग्गाहरू | ५५४४०० | | | |
| ७४ | वर्तुड चौराहा देखि प्रभाससम्म र प्रभास क्षेत्र बाहेक मुल सडकका दायावाया जोडिने घडेरी योग्य जग्गा | ८००००० | | | |
| ७५ | काजीपौवा प्रा.वि. देखि प्रभास भर्ने मोटरबाटासंग जोडिने घडेरीयोग्य जग्गाहरू | ४६२००० | | | |
| ७६ | रक्साह क्षेत्रको भित्री मोटरबाटोसंग जोडिने ४ आना सम्मका घडेरी योग्य जग्गाहरू | ३६९६०० | | | |
| ७७ | लामडांडा घूमित देखि बाघखोर भर्ने मोटरबाटो संग जोडिने जग्गाहरू | ३६९६०० | | | |
| ७८ | कुन्सरे क्षेत्र लगायतको माडी रिडरोडभन्दा भित्री कच्ची मोटरबाटो संग जोडिने घडेरी योग्य जग्गाहरू | ३६९६०० | | | |
| | खण्ड ढ का जग्गाहरू | | | | |
| | खण्ड ठ र ड अन्तर्गत पर्ने भित्री भागका जग्गा र साविक वर्तुड गा.वि.स हाल ता.नपा मा पर्ने बागबानी, काजिपौवा, अमरगंज, जैसीचौपारी देखि तल र पुर्व तथा राजमार्ग देखि दक्षिण वर्तुड चोक देखि पुर्व र दक्षिण, गोर्खेकोट, धुवघाट, ओडारे, आपटारी, कोक्रंगा, रक्साह, प्रभास मडिकल देखि पूर्व, कुन्सरे क्षेत्रमा पर्ने खेतीयोग्य जग्गाहरू | | | | |
| | किसिम | अवल | दोयम | सिम | चाहार |
| | खेत | २०७९०० | १७३२५० | ११५५०० | ५७७५० |
| ७९ | पाखो | १५०१५० | १२७०५० | १०३९५० | ४२७३५ |

| | | |
|----|--|---------|
| | खण्ड ण का जग्गाहरु | |
| ८० | साविक वर्तुड तथा ता.न.पा. मा पर्ने जग्गाहरु मध्ये केही बञ्जर भिरोलो भई खेतीयोग्य पनि नहुने घडेरी योग्य पनि नभएको भनी ता.न.पा. यस कार्यालयमा एकिन प्रमाण ल्याई कार्यालयको ठहर भएमा त्यस्ता जग्गाहरुको | ५२५०० |
| ८१ | ता.न.पा. ५ को गाईखर्क क्षेत्रको जग्गाहरु | ४२,००० |
| ८२ | साविक वर्तुड हाल ता.न.पा १ गोर्खेकोट देखि उत्तर चिहानडाडाको जग्गा | ५२५०० |
| | खण्ड त का जग्गाहरु | |
| ८३ | साविक मदनपोखरा ८ (ता.न.पा.वडा नं.७) सिद्धार्थ राजमार्गका दायावाया प्रभास बजार काटेपछि बासटारी बजारका मूल सडकसंग जोडिने घडेरी योग्य जग्गाहरु | ५५४४००० |
| ८४ | बासटारी भडेवा मोटर बाटोको ठाटीसम्म पक्की सडकसंग जोडिने घडेरी योग्य जग्गाहरु | २५८७२०० |
| ८५ | बासटारी बजार काटे पछि हाइवे पेट्रोल पम्पसम्मका घडेरी जग्गाहरु | २२१७६०० |
| ८६ | बासटारी क्षेत्रका भित्री मोटर बाटोसंग जोडिने घडेरीहरु | २४०२४०० |
| ८७ | वर्तुड चौराहा देखि बासटारी सम्म पर्ने प्रभास क्षेत्र बाहेक मूल सडकका दायावाया जोडिने घडेरी योग्य जग्गाहरु | ३४१८८०० |
| ८८ | प्रभास देखि सुन्दर गाउँ क्षेत्रका कच्ची मोटरबाटो संग जोडिने घडेरीयोग्य जग्गाहरु | ५८८००० |
| ८९ | साविक वर्तुड ६,८,९ हाल ता.न.पा. १ मिशन अस्पताल पूर्व गोर्खेकोट, धुवघाट ओडारे आपटारी क्षेत्र अन्तर्गतका पक्की मोटरबाटसंग जोडिएका घडेरी योग्य जग्गाहरु | १५००००० |
| ९० | साविक मदनपोखरा ८ हाल ता.न.पा ७ अन्तर्गत सहायक मोटरबाटोमा पर्ने घडेरीयोग्य जग्गाहरु | ११७६००० |
| ९१ | बतासेडाडा देखि अवलसम्मका पक्की सडकसंग जोडिएका दायावायाका जग्गाहरु | १०९२००० |

| | | |
|----|--|---------|
| ९२ | गोर्खेकोट देउराली देखि रानीघाट जाने पक्की सडकसम्म सडक दायबायाका जग्गाहरू | १०९२००० |
| ९३ | वडा नं. १ र ५ साविक बराडदीका भित्री मोटरबाटोसंग जोडिएका जग्गाहरू | २०१६०० |
| ९४ | माथि उल्लेखित बाहेक आवसीय क्षेत्रमा वर्गिकरण भएका वडा नं. १,५,६,७ का साविकका खेतियोग्य जग्गाहरू | ४००००० |
| | साविक बराडदी गा.वि.स. हाल ता.न.पा. १ र ५ मा पर्ने खेतियोग्य जग्गा प्रतिरोपनी (कृषि क्षेत्र) | |
| | खेत अवल | २३१०० |
| | खेत दोयम | १६८०० |
| | खेत सिम | १५७५० |
| | खेत चाहार | ७३५० |
| | पाखो अवल | १६८०० |
| | पाखो दोयम | १५७५० |
| | पाखो सिम | ८४०० |
| | पाखो चाहार | ४२०० |
| | साविक मदनपोखरा ७ र ८ पुन ता.न.पा. १४ भई हाल ता.न.पा. ७ मा पर्ने बासटारी तिन्टीआप समेतका क्षेत्रका खेतियोग्य जग्गा प्रति रोपनी (कृषि क्षेत्र) | |
| | खेत अवल | २१०००० |
| | खेत दोयम | १७३२५० |
| | खेत सिम | ११५५०० |
| | खेत चाहार | ५७७५० |
| | पाखो अवल | १५२२५० |
| | पाखो दोयम | १२८१०० |

| | | |
|---|---|---------|
| | पाखो सिम | १०५००० |
| | पाखो चाहार | ४३०५० |
| | साविक बन्दीपोखरा १,४,५,९ हाल ता.न.पा. ५ मा पर्ने खेतियोग्य जग्गा प्रतिरोपनी (कृषि क्षेत्र) | |
| | खेत अवल | ६५१०० |
| | खेत दोयम | ५७७५० |
| | खेत सिम | ४७२५० |
| | खेत चाहार | ३३६०० |
| | पाखो अवल | ५७७५० |
| | पाखो दोयम | ५२५०० |
| | पाखो सिम | ४२००० |
| | पाखो चाहार | २९४०० |
| | वडा नं ८ का जग्गाहरु | |
| १ | चुच्चेवारी देखि वृन्दावनसम्म सिद्धार्थ राजमार्गसंग जोडिएका घडेरीयोग्य जग्गाहरु तथा डुम्रे तल्लो माथिल्लो, जरेपीपल | २२१७६०० |
| २ | चुच्चेवारी देखि गौडेपुलसम्म सिद्धार्थ राजमार्गसंग नजोडिएका दायांवायांका जग्गाहरु | ३३६००० |
| ३ | चुच्चेवारी देखि सिरसिरे हुँदै ढाक्रेवाससम्म कच्चीसडक संग जोडिएका घडेरीयोग्य जग्गाहरु | ६७२००० |
| ४ | सिरसिरे देखि जि.सी. कुलदेवता मन्दिरसम्म कच्ची सडकसंग जोडिएको घडेरीयोग्य जग्गाहरु | ६७२००० |
| ५ | चुच्चेवारी देखि ढोलेनीडाडा हुँदै शारदा मा.वि. सम्मको कच्चीसडकसंग जोडिएको घडेरीयोग्य जग्गाहरु | ६७२००० |
| ६ | शारदा मा.वि. देखि देउराली, चौरथोक, किरीभञ्ज्याङ्ग, बेलाशपुर, कोकल मैदानसम्म कच्ची सडकसंग जोडिएका घडेरी योग्य जग्गाहरु | ५०४००० |

| | | |
|----|---|--------|
| ७ | भालेबास देखि छाप देउराली पीपलडाडासम्म कच्ची सडकसंग जोडिएका घडेरी योग्य जग्गाहरु | ३३६००० |
| ८ | तल्लो डुम्रे देखि पोसपाखा हुदै छाप स्कूलसम्म कच्ची सडकसंग जोडिएका घडेरी योग्य जग्गाहरु | ६७२००० |
| ९ | नयांपाटी देखि शारदा मा.वि. हुदै दमकडा जाने कच्चीसडकसंग जोडिएका घडेरी योग्य जग्गाहरु | ८४०००० |
| १० | गाड्दीखोला देखि पांडेखरक हुदै कोकलसम्म कच्ची सडकसंग जोडिएका घडेरी योग्य जग्गाहरु | ३३६००० |
| ११ | शारदा मा.वि. देखि शिखरडाडा कच्ची सडकसंग जोडिएका घडेरी योग्य जग्गाहरु | ३३६००० |
| १२ | पौडेल चौपारी देखि चापपानी हुदै ढोलेनीडांडासम्म कच्ची सडकसंग जोडिएका घडेरी योग्य जग्गाहरु | ३३६००० |
| १३ | चापपानी देखि वेलको वोटसम्म कच्ची सडकसंग जोडिएका घडेरी योग्य जग्गाहरु | ३३६००० |
| १४ | गैरापीपल देखि ठकुरीवारी सम्म कच्ची सडकसंग जोडिएका घडेरी योग्य जग्गाहरु | ३३६००० |
| १५ | जरेपीपल देखि प्रगतितोल हुदै सिमलडांडा विर्ताचोकसम्म कच्ची सडकसंग जोडिएका घडेरी योग्य जग्गाहरु | ३३६००० |
| १६ | जरेपीपल देखि चांदनीटोल हुदै चण्डीटोलसम्म कच्ची सडकसंग जोडिएका घडेरी योग्य जग्गाहरु | ३३६००० |
| | साविक मदनपोखरा १,२,३,४,५ र ९ हाल ता.न.पा. ८ र ९ मा पर्ने खेतियोग्य जग्गा प्रतिरोपनी (कृषि क्षेत्र) | |
| | खेत अवल | २९४०० |
| | खेत दोयम | २३१०० |
| | खेत सिम | १७८५० |
| | खेत चाहार | ११५५० |
| | पाखो अवल | १९९५० |

| | | |
|----|---|---------|
| | पाखो दोयम | १५७५० |
| | पाखो सिम | ११५५० |
| | पाखो चाहार | ४२०० |
| | वडा नं. ९ का जग्गाहरू | |
| १ | दमकडा स्कूल जाने बाटो चोक देखि चिद्वारगौरा जाने बाटोसम्मका पक्की सडकसंग जोडिने जग्गाहरू | ३३६०००० |
| २ | चिद्वारगौरा जाने बाटो देखि अम्लिहान पुलसम्मका पक्की सडकसंग जोडिने जग्गाहरू | २६०४००० |
| ३ | दमकडा स्कूल जाने बाटो चोक देखि ता.न.पा ७ को सिमानासम्म पक्की सडकसंगजोडिने जग्गाहरू | २६०४००० |
| ४ | अम्लिहान पुल देखि माथागढी गा.पा.को सिमानासम्मका पक्की सडकसंग जोडिने जग्गाहरू | २६०४००० |
| ५ | अम्लिहान बजार क्षेत्रका कच्ची सडकसंग जोडिने जग्गाहरू | ३३६००० |
| ६ | रानीचुडी देखि रानीआपसम्म कच्ची सडकसंग जोडिने जग्गाहरू | ३३६००० |
| ७ | चिद्वारखोला पक्की सडक देखि रानीआप जाने चोकसम्म | ३३६००० |
| ८ | चिद्वारगौरा देखि बज्जाडे चोक हुँदै दमकडा माभाटोल सम्म कच्ची सडकसंग जोडिने जग्गाहरू | ३३६००० |
| ९ | दमकडा प्रेमराज पंगेनीको घर देखि खाडखोला हुँदै पिप्ले जाने बाटोको पुलसम्म र यस क्षेत्रका भित्री कच्ची सडकसंग जोडिने जग्गाहरू | ३३६००० |
| १० | चिद्वारगौरा देखि बज्जाडे चोक हुँदै दमकडा माभाटोल सम्म कच्ची सडकसंग जोडिने जग्गाहरू | ३३६००० |
| ११ | चिद्वारगौरा देखि बज्जाडे चोक हुँदै दमकडा माभाटोल सम्म कच्ची सडकसंग जोडिने जग्गाहरू | ३३६००० |
| १२ | अर्खले जोगेनी खोला देखि धन कला घिमिरे, प्रकाश अधिकारीको घर हुँदै ढाक्रेवाससम्म कच्ची सडकसंग जोडिने जग्गाहरू | ३३६००० |
| १३ | दुर्गा मन्दिर हुँदै ता.न.पा. ७ को सिमानासम्मका कच्ची सडकसंग जोडिने जग्गाहरू | ३३६००० |
| १४ | कमलेश्वर मन्दिर गेट देखि कमलेश्वर मन्दिरको तल्लो भाग हुँदै ता.न.पा. ७ को सिमानासम्मका कच्ची सडकसंग जोडिने जग्गाहरू | ३३६००० |

| | | |
|----|--|--------|
| १५ | मदनपोखरा सिरसिरे कच्ची मोटर बाटोको माथिल्लो भाग | ३३६००० |
| १६ | कमलेश्वर मन्दिर हुँदै बाहुनखोलासम्मका कच्ची सडकसंग जोडिने भिराला जग्गाहरू | २५२००० |
| १७ | तिन्टीआप खर्केडाडा, बाहुनखोला हुँदै ता.न.पा. ८ को सिमानासम्मका कच्ची सडकसंग जोडिने जग्गाहरू, बाडखोला देखि डिठिनीडाडा हुँदै दमकडा नयापाटी सडकसम्म कच्चीसडकसंग जोडिने जग्गाहरू | ३३६००० |
| १८ | वेलगैरा देखि अधेरी हुँदै गोठुवासम्मको कच्ची सडकसंग जोडिने जग्गाहरू | ३३६००० |
| १९ | गोठुवा देखि दिल बहादुर मार्ग हुँदै तीनपीप्लेसम्म कच्ची सडकसंग जोडिने जग्गाहरू | ३३६००० |
| २० | हिमाल दर्शन टोलका कच्ची सडकसंग जोडिने जग्गाहरू | ३३६००० |
| २१ | तीनपीप्ले देखि डांडाडुम हुँदै वेलटारी उल्टे भित्ता दिल बहादुरमार्गसंग जोडिने जग्गाहरू | ३३६००० |
| २२ | धुले पहिरो देखि कालीखोला वडा नं. ८ को सिमानासम्म | ३३६००० |
| २३ | अम्लिहान देखि उल्टेभित्ता मोटरबाटोसंग जोडिने जग्गाहरू | ३३६००० |
| २४ | अम्लिहान देखि डिल बहादुरमार्ग हुँदै कोइरालडाडा, देउराली र रसगाग्रीका सडकसम्म जोडिने जग्गाहरू | ३३६००० |
| २५ | दमकडा नयापाटी सडक खण्डको दमकडा देखि आरुखर्क टंकीसम्मका कच्ची सडकसंग जोडिने जग्गाहरू | ३३६००० |
| २६ | खाडखोला पुल देखि रकौले बगनासकाली गा.पा.को सिमानासम्म सडकसंग जोडिने जग्गाहरू | ३३६००० |
| २७ | साविक खेतियोग्यबाट हाल आवासीय क्षेत्र कायम भएका अन्य जग्गाहरू | ३३६००० |
| २८ | माडीफाटका खेतियोग्य जग्गाहरू | १२०००० |
| २९ | भित्री भागका पाखो खेतियोग्य जग्गाहरू | २५००० |
| ३० | खेतियोग्य पनि नभएको घडेरी योग्य पनि नभएको बञ्जर भिराला जग्गाहरू | १६००० |

| | | |
|---|---|---------|
| | वडा नं. १० का जग्गाहरू (साविक तेलघा गा.वि.स.) | |
| १ | होलाडदी खोला देखि वडा कार्यालय भवनसम्म कच्ची सडकसंगजोडिने घडेरी योग्य जग्गाहरू र वयरघारी देखि चुकाहा सारीखोलासम्म कच्ची सडकसंग जोडिने घडेरी योग्य जग्गाहरू | १६८०००० |
| २ | वडा कार्यालय देखि नयापाटी पुलसम्म कच्चीसडकसंग जोडिने घडेरी योग्य जग्गाहरू | १६८०००० |
| ३ | साविक वडा नं. ८ पुरै र वडा नं. १ को नयापाटी जाने मोटरबाटोको कच्ची सडकसंग जोडिने घडेरी जग्गा बाहेक भित्रका जग्गाहरू | १६८०००० |
| ४ | साविक तेलघा गा.वि.स वडा नं. ८ मा पर्ने मोटरबाटो आसपासका घडेरी योग्य जग्गा र प्रभास हाईवे देखि ता.न.पा. १० तेलघाको वडा कार्यालय सम्म जाने मुख्य बाटो संग जोडिने घडेरी योग्य जग्गाहरू | १६८०००० |
| ५ | साविक तेलघा ८ को खेतियोग्य जग्गालाई आवासीय क्षेत्रमा वर्गीकरण गरिएका जग्गाहरू | ३६०००० |
| | साविक तेलघा ८ हाल ता.न.पा. १० का खेतियोग्य जग्गाहरू प्रतिरोपनी (कृषि क्षेत्र) | |
| | खेत अवल | १८९००० |
| | खेत दोयम | १४१७५० |
| | खेत सिम | ११५५०० |
| | खेत चाहार | ८९२५० |
| | पाखो अवल | १२७०५० |
| | पाखो दोयम | ९४५०० |
| | पाखो सिम | ७८७५० |
| | पाखो चाहार | ५७७५० |
| | साविक तेलघा १,२,३,४,५,६,७, र ९ हाल ता.न.पा १० का खेतियोग्य जग्गाहरू प्रतिरोपनी (कृषि क्षेत्र) | |
| | खेत अवल | ४७२५० |

| | | |
|---|---|---------|
| | खेत दोयम | ३६७५० |
| | खेत सिम | २३१०० |
| | खेत चाहार | ९४५० |
| | पाखो अवल | २१००० |
| | पाखो दोयम | १५७५० |
| | पाखो सिम | ९४५० |
| | पाखो चाहार | ५२५० |
| ६ | साविक तेलघा १,२,३,४,५,६,७, र ९ हाल ता.न.पा १० का खेतियोग्य जग्गालाई आवासीय क्षेत्रमा वर्गीकरण गरिएका जग्गाहरू | ३२०००० |
| ७ | अन्य भिर पहरुो खेतियोग्य पनि नभएको | १६००० |
| | वडा नं. ११ (साविक बन्दिपोखरा गा.वि.स.) | |
| १ | सम्मोबारी भुतकोदुला देखि चण्डीथानसम्म कालोपत्रे सडकसंग जोडिएका जग्गाहरू | १४७८४०० |
| २ | जोगीपानी देवेन्द्र गहतराज देखि सामाकोट टक्सार जाने बाटोसम्म कालोपत्रे सडकसंग जोडिएका जग्गाहरू | १४७८४०० |
| ३ | चण्डीथान देखि जोगीपानी देवेन्द्र गहतराजको घरसम्म कालोपत्रे सडकसंग जोडिएका जग्गाहरू | १०२४८०० |
| ४ | चण्डीभञ्ज्याङ्ग बजार क्षेत्रका जग्गाहरू | १०२४८०० |
| ५ | चण्डीथान सम्मोबारी देखि लिपिन्देवी प्रा.वि. हुँदै चौतारापानी थुम्कीसम्म कच्ची सडकसंग जोडिएका जग्गाहरू | ५५४४०० |
| ६ | सम्मोबारी देखि लिपिन्देवी पियालीपोखरी हुँदै पलिनडाडा पातीखरकसम्म ७चण्डीथान सम्मोबारी देखि लिपिन्देवी प्रा.वि. हुँदै चौतारापानी थुम्कीसम्म कच्ची सडकसंग जोडिएका जग्गाहरू | ५५४४०० |
| ७ | रातडाडा वोहखर देखि लालबहादुर भाटको घरसम्म कच्ची सडकसंग जोडिने जग्गाहरू | ५५४४०० |

| | | |
|---|--|---------|
| | हाल ता.न.पा. ११ साविक बन्दिपोखरा वडा नं. २,३,६,७,८ साविक भैरवस्थान वडा नं. ७ समेतका खेतियोग्य जग्गाहरू प्रतिरोपनी (कृषि क्षेत्र) | |
| | खेत अवल | ३४६५० |
| | खेत दोयम | २९४०० |
| | खेत सिम | २१००० |
| | खेत चाहार | ११५५० |
| | पाखो अवल | ३१५०० |
| | पाखो दोयम | २५२०० |
| | पाखो सिम | १८९०० |
| | पाखो चाहार | ५२५० |
| ८ | साविकको खेतियोग्य जग्गालाई आवासिय क्षेत्रमा वर्गीकरण गरिएका अन्य जग्गाहरू | १६०००० |
| ९ | खेतियोग्य पनि नभएको घडेरी यौग्य पनि नभएको बञ्जर भिराला जग्गाहरू | १६००० |
| | वडा नं. १२ (साविक बौघापोखराथोक गा.वि.स.) | |
| १ | जोर्ते बजारको पुल देखि लुहुड निस्कने बाटासम्मका सडकसंग जोडिने जग्गाहरू | १४७८४०० |
| २ | गाईघाट देखि तारा रायमाभीको घरसम्मको सडकसंग जोडिने जग्गाहरू | १४७८४०० |
| ३ | तारा रायमाभीको घर देखि लुहुड निस्कने बाटासम्म सडकसंग जोडिने जग्गाहरू | १४७८४०० |
| ४ | चण्डी भञ्ज्याङ्गका कच्ची बाटोसंग जोडिने जग्गाहरू | १०१६४०० |
| ५ | घडेरीयोग्य पनि नभएको खेतियोग्य पनि नभएको बञ्जर भिराला जग्गाहरू | ४२०० |
| ६ | साविक बोघागुम्हा ९ हाल बौघापोखराथोक ता.न.पा. १२ रानीमहल जाने मोटरबाटोसंग जोडिने घडेरीयोग्य जग्गाहरू | ९२४००० |
| | साविक बौघापोखराथोक गा.वि.स हाल ता.न.पा १२ खेतियोग्य जग्गा प्रतिरोपनी (कृषि क्षेत्र) | |
| | खेत अवल | १९९५० |
| | खेत दोयम | १३६५० |

| | | |
|---|---|--------|
| | खेत सिम | ८४०० |
| | खेत चाहार | ५२५० |
| | पाखो अवल | ११५५० |
| | पाखो दोयम | ९४५० |
| | पाखो सिम | ७३५० |
| | पाखो चाहार | ४२०० |
| | वडा नं. १३ (साविक बौघागुम्हा गा.वि.स.) | |
| १ | पुरानो स्कूल देखि साचासम्मका कालीगण्डकी कोरिडोर संगजोडिने दायावाया जग्गाहरु | ९२४००० |
| २ | पुराना स्कूल देखि लिगरेखोलासम्मका कालीगण्डकी कोरिडोरसंगजोडिने दायावायाका जग्गाहरु | ९२४००० |
| ३ | साचा देखि तारुगैरासम्मका कालीगण्डकी कोरिडोरसंग जोडिने दायावायाका जग्गाहरु | ९२४००० |
| ४ | साविक खेतियोग्य जग्गालाई आवासिय क्षेत्रमा वर्गीकरण गरिएका अन्य जग्गाहरु | १६०००० |
| | साविक बौघागुम्हा ३ हाल ता.न.पा. १३ का खेतियोग्य जग्गा प्रतिरोपनी (कृषि क्षेत्र) | |
| | खेत अवल | ६९३०० |
| | खेत दोयम | ५७७५० |
| | खेत सिम | ४७२५० |
| | खेत चाहार | २३१०० |
| | पाखो अवल | १८९०० |
| | पाखो दोयम | १३६५० |
| | पाखो सिम | ९४५० |
| | पाखो चाहार | ४२०० |
| | साविक बौघागुम्हा वडा नं. १,२,४,५,६,७,८,९, हाल ता.न.पा. १३ को खेतियोग्य जग्गा प्रतिरोपनी (कृषि क्षेत्र) | |

| | | |
|---|--|---------|
| | खेत अवल | २४१५० |
| | खेत दोयम | १७८५० |
| | खेत सिम | ११५५० |
| | खेत चाहार | ६३०० |
| | पाखो अवल | ११५५० |
| | पाखो दोयम | ९४५० |
| | पाखो सिम | ६३०० |
| | पाखो चाहार | ३१५० |
| ५ | बन्जर भिरालो भई खेती पनि नहुने पखेराहरू | १६००० |
| | वडा नं. १४ (साविक अर्गली गा.वि.स.) | |
| १ | साविक अर्गली गा.वि.स. वडा नं. ६(क) र वडा नं. ८ का हाल ता.न.पा. १४ अन्तर्गत पर्ने तानसेन रिडी मोटरबाटासंग जोडिने अर्गली बजार क्षेत्रका जग्गाहरू | २५२०००० |
| २ | तानसेन रिडी सडक खण्डको बसनी खोला देखि ठाडोडहर (स्कूल जाने गेट) सम्मका सडकका दायाबायाका घडेरी योग्य जग्गाहरू | २४०२४०० |
| २ | ठाडोडहर (स्कूल जाने गेट)देउरालीडाडा साविक रिडी जाने बाटो सम्मका सडकका दायाबायाका घडेरी योग्य जग्गाहरू | २४०२४०० |
| ३ | तानसेन रिडी सडक खण्डको बसनी खोला देखि धुलाटाकुरासम्म कच्ची सडकका दायाबायाका घडेरीयोग्य जग्गाहरू | २४०२४०० |
| ४ | अर्गली क्षेत्रको तानसेन रिडी मोटरबाटो बाहेक भित्री भागका घडेरीयोग्य जग्गाहरू | ७५६००० |
| ५ | तानसेन रिडी सडक देखि ठुलापीपल सम्मको कच्ची सडकसंगजोडिने जग्गाहरू | ७५६००० |
| ६ | कालीगण्डकी कोरीडोर सडक खण्डको बाघखोर देखि कुडापानी कच्ची सडकका दायाबायाका जग्गाहरू | ६९६००० |

| | | |
|----|--|--------|
| ७ | कालीगण्डकी कोरीडोर सडक खण्डको घिमिरेडाडा देखि अर्तुङ्गा पोखरीसम्म कच्ची सडक दायवायाका जग्गाहरू | ६९६००० |
| ८ | अर्गली देउराली देखि छेर्लुङ्ग ता.न.पा १३ को सिमासम्ममा पर्ने बजार क्षेत्रका घडेरीयोग्य जग्गाहरू | ९२४००० |
| ९ | अन्य सडकसंग जोडिएका बजार क्षेत्रका समथर घडेरीयोग्य जग्गाहरू | ६४०००० |
| १० | साविक अर्गली वडा नं. २,५,६ र ८ अन्तर्गत खेतियोग्य जग्गालाई आवासिय क्षेत्रमा वर्गीकरण गरिएका अन्य जग्गाहरू | ३२०००० |
| ११ | साविक अर्गली वडा नं. ४,७ र ९ (कुसेनी अर्तुङ्गा) अन्तर्गत खेतियोग्य जग्गालाई आवासिय क्षेत्रमा वर्गीकरण गरिएका अन्य जग्गाहरू | १६०००० |
| १२ | सडकसंग जोडिएका र नजोडिने खेतियोग्य पनि नभएको बञ्जर भिराला जग्गाहरू | १६००० |
| | साविक अर्गली वडा नं. २,५,६ र ८ हाल १४ मा पर्ने ग्रामीण क्षेत्रका त खेतियोग्य जग्गा प्रतिरोपनी (कृषि क्षेत्र) | |
| | खेत अवल | १४४३७५ |
| | खेत दोयम | ११५५०० |
| | खेत सिम | ८९२५० |
| | खेत चाहार | ४७२५० |
| | पाखो अवल | ६९३०० |
| | पाखो दोयम | ५७७५० |
| | पाखो सिम | ४२००० |
| | पाखो चाहार | ७३५० |
| | साविक अर्गली वडा नं. ४,७ र ९ हाल १४ मा पन कुसेनी अर्तुङ्गा क्षेत्रका खेतियोग्य जग्गा प्रतिरोपनी (कृषि क्षेत्र) | |
| | खेत अवल | ३१५०० |
| | खेत दोयम | २२०५० |

| | |
|---|-------|
| खेत सिम | १५७५० |
| खेत चाहार | १३६५० |
| पाखो अवल | १५७५० |
| पाखो दोयम | १०५०० |
| पाखो सिम | ९४५० |
| पाखो चाहार | ४२०० |
| नगरपालिका क्षेत्रभित्रका अन्य भित्री ग्रामीण कृषि सडकसंग जोडिने जग्गाहरूको हकमा खेतियोग्य जग्गाको न्यूनतम मूल्याङ्कनमा १०० प्रतिशत थप गरि मूल्याङ्कन कायम गर्ने | |

साविक बन्दीपोखरा १,४,५,९ हाल ता.न.पा. ५ पर्ने मोटरबाटोसंग जोडिएका घडेरी जग्गाहरू (बाटोसंगजोडिएका तर भीर पहिरो बाहेकका जग्गा)

- १) तानसेन तम्घास कालो पत्रे सडकसंग जोडिने घडेरी जग्गा प्रति आना रु. ९४५००।
- २) वाइपास रोड होलाडदी हुंगाखानी अन्तर्गत पर्ने घडेरी जग्गा प्रति आना रु. ९४५००।
- ३) भित्री निकास सहाय मोटर बाटोमा पर्ने घडेरी योग्य जग्गा प्रति आना रु. ६५१००।
- ४) घडेरी प्लटिड गरेका घडेर योग्य जग्गा प्रति आना रु. ३४६५०।
- ५) बनदेवी देखि लक्ष्मी मा.वि. सम्म पक्क सडक संग जोडिने जग्गाहरू प्रति आना रु. ९४५००।
- ६) सेतीपोखरी देखि ल्याण्डफिल साइट जाने कालो पत्रे बाटो संग जोडिने जग्गाहरू प्रति आना रु. ५७७५०।
- ७) सेतीपोखरी देखि दक्षिणपुर्व तर्फको कच्ची मोटरबाटो संग जोडिने जग्गाहरू प्रति आना रु. ३१५००।

सम्पत्ति करको दर

| सि.न. | देखि | सम्म | कर (रु.) |
|-------|------------------|----------------|----------|
| १ | रु १ | १ लाख २५ हजार | २५ |
| २ | १ लाख २५ हजार १ | २ लाख ५० हजार | ५० |
| ३ | २ लाख ५० हजार १ | ३ लाख ७५ हजार | ७५ |
| ४ | ३ लाख ७५ हजार १ | ५ लाख | १०० |
| ५ | ५ लाख १ | ६ लाख २५ हजार | १२५ |
| ६ | ६ लाख २५ हजार १ | ७ लाख ५० हजार | १५० |
| ७ | ७ लाख ५० हजार १ | ८ लाख ७५ हजार | १७५ |
| ८ | ८ लाख ७५ हजार १ | १० लाख | २०० |
| ९ | १० लाख १ | १२ लाख ५० हजार | २५० |
| १० | १२ लाख ५० हजार १ | १५ लाख | ३०० |
| ११ | १५ लाख १ | १७ लाख ५० हजार | ३५० |
| १२ | १७ लाख ५० हजार १ | २० लाख | ४०० |
| १३ | २० लाख १ | २२ लाख ५० हजार | ५०० |
| १४ | २२ लाख ५० हजार १ | २५ लाख | ६५० |
| १५ | २५ लाख १ | २७ लाख ५० हजार | ८५० |
| १६ | २७ लाख ५० हजार १ | ३० लाख | १००० |
| १७ | ३० लाख १ | ३५ लाख | १२०० |
| १८ | ३५ लाख १ | ४० लाख | १८०० |
| १९ | ४० लाख १ | ४५ लाख | २४०० |
| २० | ४५ लाख १ | ५० लाख | ३००० |
| २१ | ५० लाख १ | ६२ लाख ५० हजार | ३५०० |
| २२ | ६२ लाख ५० हजार १ | ७५ लाख | ५५०० |

| | | | |
|----|-------------------------------|----------------|-------|
| २३ | ७५ लाख १ | ८७ लाख ५० हजार | ७५०० |
| २४ | ८७ लाख ५० हजार १ | ९० लाख | ८५०० |
| २५ | ९० लाख १ | १ करोड | १०००० |
| २६ | १ करोड १ | १ करोड २५ लाख | १२००० |
| २७ | १ करोड २५ लाख १ | १ करोड ५० लाख | १४५०० |
| २८ | १ करोड ५० लाख १ | १ करोड ७५ लाख | १७००० |
| २९ | १ करोड ७५ लाख १ | २ करोड | २०००० |
| ३० | २ करोड १ | २ करोड २५ लाख | २५००० |
| ३१ | २ करोड २५ लाख १ | २ करोड ५० लाख | ३०००० |
| ३२ | २ करोड ५० लाख १ | ३ करोड | ३५००० |
| ३३ | ३ करोड १ | ३ करोड ५० लाख | ४०००० |
| ३४ | ३ करोड ५० लाख १ | ४ करोड | ४५००० |
| ३५ | ४ करोड १ | ४ करोड ५० लाख | ५०००० |
| ३६ | ४ करोड ५० लाख १ | ५ करोड | ६०००० |
| ३७ | ५ करोड १ देखी माथी प्रति हजार | | रु २ |

छुट तथा जरिवानाको व्यवस्था: चालू आ.व. को सम्पत्ति कर पुस मसान्त भित्र बुझाएमा १०% छुट हुने तथा एक आर्थिक वर्षको बक्यौतामा २०% र दुई आर्थिक वर्षभन्दा बढीको बक्यौतामा ३०% जरिवाना लाग्नेछ ।

अनुसूची २
(ऐनको दफा ३ संग सम्बन्धित)
भूमिकर (मालपोत) को दर

१. मालपोत

भूमिको उत्पादकत्व वा व्यापारिक, आवासीय, कृषि, वन पाखो वा बगर आदि उपयोगिताका आधारमा

| जग्गाको किसिम | भूमिकर प्रति रोपनी रु |
|-----------------|----------------------------------|
| व्यापारिक | मालपोत मूल्याङ्कनको ०.०६ प्रतिशत |
| आवासीय | मालपोत मूल्याङ्कनको ०.०४ प्रतिशत |
| कृषि | मालपोत मूल्याङ्कनको ०.०४ प्रतिशत |
| वन, पाखो वा बगर | मालपोत मूल्याङ्कनको ०.०३ प्रतिशत |

द्रष्टव्य :

- (१) नापी सम्पन्न भई नसकेका र मालपोत ऐन, २०३४ लागू नभएका क्षेत्रका जग्गाको हकमा नापी हुनुभन्दा अघिको कित्ताको आधारमा प्रति कित्ता रु १०१०० का दरले भूमिकर/मालपोत लिइनेछ ।
- (२) चिया, रवर खेती र निजी वन लगाएको जग्गाको मालपोत दर सम्बन्धित जग्गारहेको किसिम अनुसारको दरमा २० प्रतिशत छुट गरी लिइनेछ ।

अनुसूची ३

ऐनको दफा ४ को उपदफा (२) संग सम्बन्धित

घर जग्गा बहाल करको दर

नगरपालिका क्षेत्रभित्र कुनै व्यक्तिले घर, पसल, ग्यारेज, गोदाम, टहरा, सेड (छप्पर), कारखाना, जग्गा वा पोखरी पुरै वा आंशिक तबरले बहालमा दिएकोमा भाडा सम्भौता बमोजिम सम्भौता बमोजिमको वार्षिक बहाल रकममा १० प्रतिशतका दरले बहाल कर लिइने छ ।

नोट: छोटो समयको सम्भौता भए घर जग्गा बहाल रकम कम्तिमा ६ महिना बराबरको लाग्नेछ ।

अनुसूची ४

ऐनको दफा ५ को उपदफा(३) संग सम्बन्धित

व्यवसाय इजाजत (दर्ता नवीकरण) दस्तुरको दर

| क्र.स. | व्यवसायको किसिम | दस्तुर रकम रु. | कैफियत |
|--------|---------------------|----------------|---------------------|
| १ | व्यवसाय दर्ता शुल्क | ५००। | |
| २ | वार्षिक नवीकरण | निशुल्क | व्यवसाय कर तिरे पछि |

अनुसूची ५

ऐनको दफा ५ को उपदफा(५) संग सम्बन्धित

व्यवसाय कर

| क्र.स. | सेवाको विवरण | करका दर | कैफियत |
|--------|--------------------------------------|---------|--------|
| १ | व्यापारिक बस्तु | | |
| १.१ | कपडा पसल | | |
| क. | थानको कपडा साना खुद्रा विक्री गर्ने | १२५० | |
| ख. | थानको कपडा खुद्रा विक्री गर्ने | २१०० | |
| ग. | थानको कपडा थोक खुद्रा विक्री गर्ने | ३१०० | |
| घ. | सिरक डसना, खोल, साना पसल आदि | २१०० | |
| ड. | सिरक डसना, खोल, कार्पेट आदि | ३५०० | |
| च. | स्वदेशी कपडा खुद्रा विक्री | १२५० | |
| छ. | पाल्पाली ढाका कपडा खुद्रा विक्री | १९०० | |
| ज. | पाल्पाली ढाका सोरुम तथा थोक विक्री | ३१०० | |
| झ. | अन्य ढाका कपडा विक्री | ३१०० | |
| १.२ | किराना पसल र प्रोभिजन पसल | | |
| क. | साना किराना पसल/टंकी व्यवसाय | ९०० | |
| ख. | किराना पसल ग्रामीण | ७५० | |
| ग. | किराना पसल | १२५० | |
| घ. | थोक खुद्रा किराना पसल | २८०० | |
| ड. | प्रोभिजन पसल | २३०० | |
| क. | दैनिक सबै उपभोग्य वस्तुको थोक विक्री | ३५०० | |
| १.३ | फेन्सी पसल | | |
| क. | साधारण | १००० | |

| | | | |
|-------------|---|------|--|
| ख. | विदेशी सामान सहित | २३०० | |
| ग. | कुर्ता सलवार विक्री समेत | २३०० | |
| घ. | जुत्ता चप्पल, भोला सहित | २८०० | |
| ङ. | फेन्सी भोला समेत | २८०० | |
| १.४ | हजाम तथा व्यूटीपार्लर | | |
| क. | २ सिट सम्म हजाम | ९०० | |
| ख. | ४ सिट सम्म हजाम | १४०० | |
| ग. | ४ सिट भन्दा माथि हजाम | २००० | |
| घ. | व्यूटीपार्लर मात्र | १८०० | |
| ङ. | व्यूटीपार्लर तालिम समेत | २५०० | |
| च. | सावना | १४०० | |
| | व्यूटीपार्लर समेत अन्य सृङ्गार सामान र यन्त्र तथा अन्य सामान विक्री | ३४०० | |
| १.५ | गहना पसल | | |
| क. | सुनचाँदीको साना पसल | २५०० | |
| ख. | सुनचाँदीको ठुला पसल | ४१०० | |
| घ. | नक्कली गहना पसल | २१०० | |
| ङ. | गहना बनाउने कालीगढ | १६०० | |
| १.६ | भाडा पसल | | |
| क. | उत्पादन र विक्री गर्ने | १२५० | |
| ख. | खुद्रा विक्री | १२५० | |
| ग. | थोक तथा खुद्रा पसल प्लाष्टिक बाहेक | २००० | |
| घ. | माटाको भाडा पसल | ५०० | |
| ङ. | प्लाष्टिक भाडा पसल | १७०० | |
| च. | किचन हाउस जस्ता मिश्रित सामान | २७०० | |
| छ. | प्लाष्टिक अन्य सामान विक्री | २५०० | |
| १.८ | सिलाइ /टेलरिङ्ग पसल | | |
| | २ कल सम्म ग्रामीण वडा | ७०० | |
| क. | २ कल सम्म | ७५० | |
| ख. | ३ देखि ५ कल सम्म | १००० | |
| ग. | ५ कल देखि माथि | १२५० | |
| घ. | सिलाइ तथा कपडा विक्री २ कलसम्म | २००० | |
| ङ. | सिलाइ तथा कपडा विक्री ३ कल देखि माथि | २७०० | |
| १.१० | इलेक्ट्रोनिक सामान विक्री | | |
| क. | इलेक्ट्रोनिक सामान थोक विक्री/डिलर | ४१०० | |

| | | | |
|-------------|---|------|--|
| ख. | इलेक्ट्रोनिक सामान खुद्रा विक्री | २१०० | |
| ग. | मोबाइल मर्मत | १६०० | |
| घ. | मोबाइल विक्री | २७०० | |
| ङ. | मोबाइल विक्री तथा मर्मत | ३४०० | |
| च. | घडी विक्री तथा मर्मत | १४०० | |
| छ. | कम्प्यूटर तथा कम्प्यूटर सामान विक्री तथा मर्मत | ३४०० | |
| ज. | कम्प्यूटर सफ्टवेयर तयार गर्ने कम्पनी | ८३०० | |
| १.११ | विद्युत सामान विक्री पसल | | |
| क. | थोक विक्री गर्ने | १८०० | |
| ख. | खुद्रा विक्री गर्ने | १५०० | |
| ग. | थोक खुद्रा विक्री गर्ने | २१०० | |
| १.१२ | फलफुल तरकारीमा | | |
| क. | थोक/आपूर्तिकर्ता | १६०० | |
| ख. | दर्ता नभएकाको हकमा प्रति पटक (तरकारी/फलफुल/अण्डा) | २०० | |
| ग. | खुद्रा विक्री | १००० | |
| घ. | खुद्रा विक्री किराना समेत | १२५० | |
| | फलफुल तथा जुस पसल | १००० | |
| १.१३ | फोटो ग्राफर/फोटो व्यवसाय | | |
| क. | फोटो खिच्नेमात्र (स्टूडियो) | १२५० | |
| ख. | फोटो खिच्ने र अन्य गिफ्टका सामान विक्री | २१०० | |
| ग. | फोटो फ्रेम, सिसा, पोष्टर, पोष्टकार्ड आदि | २२०० | |
| घ. | भिडियो तथा फोटो खिच्ने | २२०० | |
| च. | कलर ल्याब | २७०० | |
| १.१४ | पुस्तक पसल तथा स्टेशनरी | | |
| क. | किताव कपी/पत्रपत्रिका विक्री | १४०० | |
| ख. | स्टेशनरी तथा खेलकुद सामान | २५०० | |
| ग. | खेलकुद सामाग्री/जीम तथा अन्य | २७०० | |
| १.१५ | माछा मासु पसल | | |
| क. | खसीको मासु मात्र विक्री | १४०० | |
| ख. | कुखुराको मासु मात्र विक्री | १४०० | |
| ग. | बंगुरको मासु मात्र विक्री | १४०० | |
| घ. | रागाको मासु मात्र विक्री | १४०० | |
| ङ. | माछा मात्र | १४०० | |
| च. | सवै माछा मासु विक्री गर्ने | २१०० | |

| | | |
|-------------|--|-------|
| १.१६ | फर्निचर सौरुम | |
| क | स्टिल काठ फर्निचर, कार्पेट, अन्य सजावट विक्रेता | २५०० |
| ख | आल्मूनियम फर्निचर विक्रेता | २२०० |
| ग. | प्लाष्टिक फर्निचर, कार्पेट, अन्य सजावट सामान विक्रेता | २६०० |
| घ | प्लोरिड तथा फर्निसिड | २६०० |
| १.१७ | काष्ठ व्यवसाय | |
| क | स मिल काठ चिर्ने | १७५० |
| ख | काठ चिरान गरी खरिद विक्री | २१०० |
| ग | काठ चिरान गरी खरिद विक्रीका साथै फर्निचर उत्पादन | २९०० |
| १.१८ | मोटर पार्ट्स | |
| क | थोक विक्री गर्ने | २९०० |
| ख | खुद्रा विक्री गर्ने | २१०० |
| ग | कृषि यान्त्रिक उपकरण | ३१०० |
| घ | कृषि उपकरण सामान्य | ७०० |
| १.१९ | सवारी साधन विक्री | |
| क. | लाइट गाडी सो रुम तथा विक्री | ७५०० |
| ख. | हेभि गाडी सो रुम तथा विक्री | १०००० |
| | मोटरसाइकल स्कुटी सो रुम | ६२०० |
| ग. | मोटरसाइकल सो रुम तथा वर्कसप | ६९०० |
| | मोटरसाइकल वर्कशप | ३१०० |
| घ. | रिकन्डीसन मोटर साइकल सो रुम | ३७०० |
| ड. | साइकल विक्री | २४०० |
| च. | साइकल भाडामा खेलाउने | १००० |
| छ. | गाडी धुलाइ | ५००० |
| झ. | गाडीको पट्टा मात्र मर्मत | २५०० |
| १.२० | हार्डवेयर सामान पसल | |
| क. | हार्डवेयर खुद्रा विक्री गर्ने | १८०० |
| ख. | हार्डवेयर थोक विक्री गर्ने | ३७०० |
| ग. | हार्डवेयर लगायत उल्लेखित सबै सामान कलर सहित प्लम्बिड सामान समेत | ४४०० |
| घ | कलर मात्र | ३१०० |
| ड. | मार्बल, चिप्स, टायल आदि | ३१०० |
| च. | सिसा तथा प्लाइउड सामान | ३१०० |
| छ. | गिट्टी, बालुवा, ढुङ्गा, इट्टा सप्लायर्स मुख्य बजार क्षेत्र भित्र | १२५०० |

| | | | |
|-------------|--|-------|--|
| ज. | गिट्टी, बालुवा, ढुङ्गा, इट्टा सप्लायर्स मुख्य बजार क्षेत्र भन्दा बाहीर | ६२०० | |
| १.२१ | श्रृङ्गार तथा उपहार सामान | | |
| क | थोक विक्री | २१०० | |
| ख | खुद्रा विक्री | १२५० | |
| ग | खेलौना उपहार गिफ्ट पसल | १५०० | |
| घ | इन्टिम | ३१००० | |
| ङ | विलियार्ड, स्नूकर, पुल | ६२०० | |
| १.२२ | मदिरा तथा पेय पदार्थ पसल | | |
| क. | मदिरा खुद्रा विक्री पसल | १९०० | |
| ख. | मदिरा थोक पसल | २५०० | |
| ग. | मदिरा थोक/खुद्रा/पेय पसल | ३८०० | |
| घ | पेय पदार्थ (मदिरा बाहेक) | १५०० | |
| १.२३ | आयल निगम/पेट्रोल पम्प | | |
| क. | २ वा दूई भन्दा बढी पम्प | ७५०० | |
| ख. | मट्टीतेल डिपो | १९०० | |
| १.२४ | साउण्ड सिस्टम भाडा तथा विक्री | १५०० | |
| | टेण्ट हाउस | २५०० | |
| १.२५ | सौर्य उर्जा तथा सोलार | ३८०० | |
| १.२६ | उनि धागो विक्रेता | १२०० | |
| १.२७ | बायो उर्जा | १५०० | |
| १.२८ | पुजा सामाग्री पसल | २२०० | |
| १.२९ | ज्योतिष शास्त्र | २५०० | |
| १.३० | चस्मा विक्री तथा मर्मत | २९०० | |
| १.३१ | पशु आहारा | २००० | |
| क | पशु औषधि (भेट) | २००० | |
| ख | कृषि विषादी तथा उपकरण | ३१०० | |
| ग | तरकारी, फलफुल तथा बाली वीउविजन | १९०० | |
| घ | एग्रोभट (औषधि, विषादी, वीउविजन, कृषि सामाग्री समेत) | ४५०० | |
| ङ | नर्सरी | ३००० | |
| १.३२ | पर्यटन सामान विक्री(ह्याण्डीक्राफ्ट) | १५०० | |
| १.३३ | फायर सेफ्टी सर्भिस | | |
| २. | मर्मत संभार सेवा | | |
| क | हावा भनें पन्चर टाल्ने | १२५० | |
| घ | हेभि मोटर गाडी वोडी मर्मत | ४४०० | |

| | | | |
|----|--|------|--|
| ड | हलका मोटर गाडी बोडी मर्मत | २९०० | |
| छ | लुगा सिलाउने मेशिन मर्मत | ७०० | |
| ज | स्टोभ, छाता, प्रेसर कुकर, ग्यास चुल्हो मर्मत | १२५० | |
| झ | रेफ्रिजेरेटर, हिटर, पंखा टान्सफर्मर तथा अन्य इलेक्ट्रोनिक सामानहरु मर्मत | १८०० | |
| ञ | सवारी साधन कन्ट्रयाक्टर सेवा | १८०० | |
| ३. | विशेशज्ञ परामर्श तथा अन्य व्यवसायीक सेवा | | |
| क | इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सीमा | | |
| | २. इन्जिनियर | ४४०० | |
| | ३. प्रोपाईटर सिप फर्म | ४४०० | |
| | ४. साभेदारी सिप फर्म | ३५०० | |
| ख | कानुनी सेवा व्यवसायमा | | |
| | १. लेखापढी व्यवसाय | १८०० | |
| | २. अभिवक्ता कानुन व्यवसाय | २५०० | |
| | ३. अधिवक्ता कानुन व्यवसाय | ३१०० | |
| ग. | लेखा परीक्षक | | |
| | क. श्रेणीको अडिटरमा | ६२०० | |
| | ख. श्रेणीको अडिटरमा | ४४०० | |
| | ग र घ श्रेणीको अडिटर | ३१०० | |
| घ | विमा एजेन्ट | २५०० | |
| ड | सर्भेयर | ३१०० | |
| च | अनुवादक (नोटरी पब्लिक) | १५०० | |
| छ | सबै प्रकारको कन्सल्टेन्सी | ६२०० | |
| ज | वेभ साइट र प्रोग्रामर डिजाइनर | ३१०० | |
| झ | सामान ढुवानी ट्रान्सपोर्ट व्यवसाय | ३१०० | |
| ञ | कपडा धुलाइ | | |
| | क. साधारण | ११०० | |
| | ख. लाउण्डी सेवा | १२५० | |
| | ग. ड्राईक्लिनर | ३१०० | |
| ट | साइनवोर्ड लेख्ने | | |
| | क. साइनवोर्ड ब्लक र चित्र बनाउने | १५०० | |
| | ख. कपडामा व्यानर बनाउने | १५०० | |
| | ग. प्लाष्टिक तुल व्यानर बनाउने (फ्लेक्स बोर्ड) | ३००० | |
| ठ | पार्टी प्यालेस र क्याटरिङ | ५००० | |

| | | | |
|----|---|-------|--|
| | क्याटरिड मात्र | २५०० | |
| ४ | अन्य सेवा | | |
| क | बैदेशिक रोजगार सेवा | १२५०० | |
| ख | हाउजिङ्ग घर जग्गा खरिद विक्री | १३००० | |
| ५. | डिपार्टमेन्टल/सुपर मार्केट | | |
| | क. डिपार्टमेन्टल स्टोर्स | २९०० | |
| | ख. सुविधा सम्पन्न | ७२०० | |
| ६. | पान पसल | ८०० | |
| ७. | पानी प्रशोधन | २५०० | |
| ८. | उद्योग व्यवसाय | | |
| क | उत्पादनमुलक उद्योग | | |
| | रु. १ लाख सम्मको चालुपुँजी भएको | २३०० | |
| | रु. १ लाख २ लाखसम्म चालुपुँजी भएको | २५०० | |
| | रु. २ लाख देखि ३ लाखसम्म चालुपुँजी भएको | ३१०० | |
| | रु. ३ लाख देखि ५ लाखसम्मको चालुपुँजी भएको | ३९०० | |
| | रु. ५ लाख देखि १० लाखसम्मको चालुपुँजी भएको | ४८०० | |
| | रु. १० लाख देखि २५ लाखसम्मको चालुपुँजी भएको | ६१०० | |
| | रु. २५ लाख देखि माथि चालुपुँजी भएको | ८५०० | |
| | आईस्क्रीम उद्योग | १२५० | |
| ख | कृषि तथा वन जन्य उद्योग व्यवसायमा | | |
| | रु. १ लाख सम्मको चालुपुँजी भएको | २३०० | |
| | रु. १ लाख २ लाखसम्म चालुपुँजी भएको | २५०० | |
| | रु. २ लाख देखि ३ लाखसम्म चालुपुँजी भएको | ३१०० | |
| | रु. ३ लाख देखि ५ लाखसम्मको चालुपुँजी भएको | ३९०० | |
| | रु. ५ लाख देखि १० लाखसम्मको चालुपुँजी भएको | ४८०० | |
| | रु. १० लाख देखि २५ लाखसम्मको चालुपुँजी भएको | ६१०० | |
| | रु. २५ लाख देखि माथि चालुपुँजी भएको | ८५०० | |
| | गाई भैसीपालन, बंगुर, बाखा, | १५०० | |
| | पोल्ट्री फर्म १५०० सम्म चला भएको | १५०० | |
| | १५०१ देखि ३००० सम्म चला भएको | १९०० | |
| | ३००० देखि माथि | ३१०० | |
| | ह्याचरी | ७५०० | |
| ग | पर्यटन उद्योग | | |
| | तारे होटल | | |

| | | | |
|-----|--|-------|--|
| | एकतारे होटल | ८७०० | |
| | दुई तारे होटल | १५८०० | |
| | तीन तारे होटल | २५००० | |
| | चारे तारे होटल | ३४७०० | |
| | पाँच तारे होटल | ४३००० | |
| घ | ट्रेकिङ, ट्राभल एजेन्सी, टिकट रिजर्भेसन | २५०० | |
| ङ | पाराग्लाइडिङ | ३१०० | |
| च | होटल, लज, गेष्ट हाउस | | |
| | नियमित खाना (होम स्टे समेत) | १६०० | |
| | १ बेड देखि १५ सम्मको लाई | २३०० | |
| | १६ बेड देखि २५ सम्मको लाई | ३४०० | |
| | सो भन्दा माथिको | ७५०० | |
| छ | रेष्टुरेण्ट आदि व्यवसाय | | |
| | साधारण चिया पसल ग्रामीण | ७०० | |
| | फास्टफूड रेष्टुरेण्ट तथा साधारण चिया पसल | १४०० | |
| | शाकाहारी रेष्टुरेण्ट मिठाई पसल समेत | १५०० | |
| | मांशाहारी तथा मदिरा समेत | १९०० | |
| ९. | सेवा उद्योग | | |
| क | छापाखाना, मूद्रणालय | १६०० | |
| ख | चलचित्र व्यवसाय | ३५०० | |
| ग | चलचित्र/श्रव्यदृश्य उत्पादन Production house | ३४०० | |
| घ | सीत भण्डार (कोल्ड स्टोरेज) | ६९०० | |
| ङ | सीत भण्डार (कोल्ड स्टोरेज) | ६९०० | |
| | क. कुटानी पिसानी पेलानी मध्ये एक काम गर्ने | १४०० | |
| | ख. कुटानी पिसानी | १६०० | |
| | ग. कुटानी पिसानी पेलानी | २१०० | |
| १०. | सुचना तथा संचार सेवा | | |
| क | पत्र पत्रिका प्रकाशन | | |
| | क. दैनिक | १७०० | |
| | ख. पाक्षिक | १००० | |
| | ग. मासिक | ८०० | |
| | ३. त्रैमासिक | ७०० | |
| | ड. अर्धवार्षिक | ७०० | |
| | च. वार्षिक | ७०० | |

| | | | |
|-----|--|-------|--|
| ख | टेलिफोन सेवा प्रति टावर (एनटिसी, यूटिएल, एनसेल, स्मार्टसेल र अन्य आदि) | १४००० | |
| ग | एफ.एम. रेडियो | २००० | |
| घ | अन्य टावर टेलिफोन बाहेक एफ.एम. समेतको | २५०० | |
| ड | अन्य सेवा | | |
| १ | फोटोकपी | १५०० | |
| २ | लोकल, राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय फोन सेवा, फ्याक्स, साइवर | १९०० | |
| ३ | इन्टरनेट सेवा मात्र वितरण | १२५०० | |
| ४ | इन्टरनेट र टि.भि. सेवा वितरण | १५००० | |
| ६ | ग्राफिक डिजाइन तथा कम्प्यूटर टाईपिङ | १६०० | |
| ७ | कुरियर्स तथा एक्स्प्रेस डेलिभरी National and Intern. | १४०० | |
| ८ | विज्ञापन एजेन्सी व्यवसाय | १४०० | |
| ११. | वित्तीय सेवा नेपाल सरकारको स्वामित्व बाहेक | | |
| क. | बाणिज्य बैंक मुख्य कार्यालय | ३०००० | |
| ख. | बाणिज्य बैंक शाखा | १२५०० | |
| ग. | विकास बैंक केन्द्रीय कार्यालय | १५००० | |
| घ. | विकास बैंक शाखा तथा फाइनेन्स | १०००० | |
| | बैंकको एक्स्टेन्सन काउण्टर | ५००० | |
| ड. | मनी ट्रान्सफर रेमिट्यान्स | ८००० | |
| च | सटही काउन्टर | ५०० | |
| छ. | सहकारी बैंक तथा लघुवित्त संस्था | ८५०० | |
| ज | बचत तथा ऋण सहकारी संस्था | | |
| | १ करोड सम्म वार्षिक कारोबार गर्ने | ३१०० | |
| | ३ करोडसम्म कारोबार गर्ने | ५६०० | |
| | ३ करोड भन्दा माथि कारोबार गर्ने | ७५०० | |
| | दुग्धजन्य सहकारी (५० प्रतिशत छुट) | | |
| | कृषि/पशुजन्य सहकारी (५० प्रतिशत छुट) | | |
| ज | विमा कम्पनी | ९३०० | |
| ११. | स्वास्थ्य सेवा | | |
| क. | सामुदायिक अस्पताल | २५००० | |
| ख | निजी अस्पताल | ३१००० | |
| क | अस्पताल मेडिकल कलेज समेत | ३७५०० | |
| ग | सर्जिकल सामान सहित मेडिकल | २५०० | |
| क. | नर्सिङ होम | १४४०० | |

| | | | |
|------------|---|-------|--|
| ख | डेन्टल/क्लिनिक | ५००० | |
| क | मेडिकल | २५०० | |
| ग | मेडिकल/क्लिनिक सहित | ३८०० | |
| घ | प्राकृतिक चिकित्सा केन्द्र/अकुपन्चर | १९०० | |
| ग. | आयुर्वेदिक औषधि पसल | १२५० | |
| ङ | जडीबुटि तथा हर्वल सामाग्री खरिद विक्री | १२५० | |
| च | एक्सरे तथा प्याथालोजीक, ल्याब | २५०० | |
| छ | जिम हाउस/हेल्थ क्लव | १९०० | |
| | जुम्बा | १२५० | |
| १२ | शिक्षा सेवा | | |
| क | डाईभिड इन्स्टीच्युट | ३१०० | |
| ख | कोचिड सेन्टर, कम्प्युटर सिकाउने | ३१०० | |
| ग | विदेशी भाषा कक्षा संचालन | ३८०० | |
| | निजी विद्यालय | | |
| क | पुर्व प्राथमिक/मन्टेश्वरी | २२०० | |
| ख | आधारभुत तह | १९०० | |
| घ | मा.वि.स्तरको | ३८०० | |
| ङ | निजी क्याम्पस तथा प्राविधिक शिक्षालय | ५००० | |
| च | होस्टेल १० जना सम्म विद्यार्थी भएको | ३८०० | |
| छ | होस्टेल १० जना भन्दा माथि | ६२०० | |
| | तालिम तथा अनुसन्धान | | |
| क | संगीत, डान्स, कला केन्द्र | २२०० | |
| ख | मोबाइल रेडियो मर्मत तालिम केन्द्र | २००० | |
| ग | विविध तालिम सेवा केन्द्र | २२०० | |
| १३. | निर्माण व्यवसायी | | |
| क. | ठेकेदार | | |
| | क. श्रेणीको ठेकेदार | ३१२०० | |
| | ख. श्रेणीको ठेकेदार | १८७०० | |
| | ग. श्रेणीको ठेकेदार | १२५०० | |
| | घ. श्रेणीको ठेकेदार | ७५०० | |
| | निजी ठेकेदार लेबर कन्ट्र्याक्टर घर निर्माणकर्मी | ४५०० | |
| | नोट: नगर क्षेत्र भित्र काम गर्ने अन्यत्र दर्ता भएका ठेकेदारहरुले न.पा.मा सूचीकृत हुनु पर्ने र सूचीकृतको लागि माथि उल्लेखित दरको ५० प्रतिशत शुल्क लिने | | |

| | | |
|------------|--|-------|
| १४. | डिलर | |
| | चुरोट/सुर्तीजन्य | ६२०० |
| | रिचार्ज कार्ड | ३७०० |
| | हल्का पेय पदार्थ | ४२०० |
| | मादक पदार्थ | ७५०० |
| | ग्याँस | २५०० |
| | मट्टितेल | २९०० |
| | सिमेन्ट | ७५०० |
| | व्याट्री, साबुन, विस्कट, चाउचाउ, चिनी, नून, चकलेट, मन्जन आदि | ५००० |
| | टि.भी., रेफ्रिजेरेटर, वासिङ मेसिन | ७५०० |
| | ट्याङ्कुरबाट घरघरमा पानी उपलब्ध गराउने | ३९०० |
| १५. | अन्य | |
| | कवाडी कारोवार बजार | ४४०० |
| | कवाडी कारोवार ग्रामीण | ९९०० |
| | पौडी पोखरी | ३९०० |
| | मिक्स्चर तथा भाईब्रेटर | ३९०० |
| | च्याउ व्यवसाय | ९०० |
| | साना डेरी पसल | ९४०० |
| १६. | विद्युत, टेलिकम र केबुल लाइन कर | |
| क. | विद्युत | |
| | केन्द्रीय विद्युत लाइन पोल एकको | २४७५ |
| | साधारण पोल एकको | ७०० |
| | ट्रान्सफर्मर एकको | ९४०० |
| | तार लाइन एकको प्रतिमिटर | ०।०७ |
| ख | नेपाल टेलिकम | |
| | साधारण पोल एकको | ९९८ |
| | तार लाइन एकको प्रतिमिटर | ०।९५ |
| | क्याबिनेट एकको | ५०० |
| | केबुल लाइन तार प्रतिमिटर | ०।४ |
| | खानेपानी पाइपलाइन विस्तार प्रतिमिटर | ०।०६ |
| | टेलिफोन टावर व्यवसायिक शुल्क | ९०००० |
| १७. | कान्जी हाउसमा राखिने चौपायाको | |
| | भैसी रागा आदिलाई दैनिक | ९३५ |
| | गाई गोरु आदिलाई दैनिक | ७० |

| | | | |
|------------|--|------|--|
| | घोडा, खच्चड, गधा आदिलाई दैनिक | २०० | |
| | बदेल, बंगुर, सुगुर आदिलाई दैनिक | २७ | |
| १८. | जग्गा व्यवसाय | | |
| | जग्गा व्यवसाय रजिष्ट्रेशन | १४०० | |
| | जग्गा व्यवसाय कर | ८३०० | |
| | पेन्टीङ व्यवसाय | १२५० | |
| | contractor vehical service | १९०० | |
| | अन्य माथिका वर्गीकरणमा नपरेका व्यवसायहरु लगानीको आधारमा | | |
| | रु. १ लाख सम्मको चालुपुँजी भएको | २३०० | |
| | रु. १ लाख २ लाखसम्म चालुपुँजी भएको | २६०० | |
| | रु. २ लाख देखि ३ लाखसम्म चालुपुँजी भएको | ३१०० | |
| | रु. ३ लाख देखि ५ लाखसम्मको चालुपुँजी भएको | ३९०० | |
| | रु. ५ लाख देखि १० लाखसम्मको चालुपुँजी भएको | ४७०० | |
| | रु. १० लाख देखि २५ लाखसम्मको चालुपुँजी भएको | ६१०० | |
| | रु. २५ लाख देखि माथि चालुपुँजी भएको | ८५०० | |
| १९ | माथिको वर्गीकरणमा समावेश नभएका सेवा, व्यवसायको कारोबार र स्तर हेरी वार्षिक १०० देखि १०००० रुपैया सम्म वा नगरपालिकाको निर्णय बमोजिम | | |

व्यवसाय करको जरिवाना तथा छुटको व्यवस्था

१. आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को कर सोही वर्षको पुष मसान्त भित्र बुझाएमा लाग्ने करमा १० प्रतिशत छुट दिइने छ ।
२. बक्यौताकर भुक्तानी गर्दा देहाय अनुसार जरिवाना लाग्नेछ ।
 - क. एक वर्षको बक्यौतामा सो को २०% ले हुन आउने रकम ।
 - ख. एक वर्ष भन्दा बढीको बक्यौतामा प्रतिवर्ष ३०% ले हुन आउने रकम ।
३. व्यवसायकर बक्यौता राख्ने करदातालाई नगरपालिकाले उपलब्ध गराउँदै आएको आकस्मिक बाहेकका अन्य सेवा र सुविधा बन्द गरिनेछ ।
४. व्यवसाय कर चुक्ता भएको प्रमाण पेस नगरेसम्म नगरपालिकाबाट नयाँ सेवा तथा सुविधाहरु उपलब्ध गराइने छैन ।

अनुसूची ६
 ऐनको दफा ६ को उपदफा(१) संग सम्बन्धित
जडीबुटी, कवाडी, जीवजन्तु करको दर

| क्र. सं | करको किसिम | करको दर | कैफियत |
|---------|---|---------|--------|
| क) | ऊन, खोटो, जडीबुटी, वनकस | | |
| १. | ऊन (प्राकृतिक, कृत्रिम, जगर) प्रति के. जी. | ०१० | |
| २. | खोटो प्रति के.जी. | ०१५० | |
| ३. | जडीबुटीहरु (प्रति के. जी.) | ०१४० | |
| ४. | वनकस (खर), बाबियो, मलहन पत्ता, छुवाली, पराल, वगास, निगालो, लोकता, पटेर,अम्लिसो (कुच्चो) प्रति ट्रक/ट्याक्टर | १००/५० | |
| ख) | कवाडी मालसामान . | | |
| १. | खाली सिसी (विथर) वोतलको साइज हेरी प्रति गोटा | ०१२५ | |
| २. | खाली सिसी (मदिरा र अन्य) ५०० एम.एल. भन्दा माथि प्रति गोटा | ०१२० | |
| ३. | खाली सिसी (मदिरा र अन्य) ५०० एम.एल. भन्दा तल प्रभित गोटा | ०१०५ | |
| ४. | प्लाष्टिक (बोतल, भाँडाकुँडा, पुराना जुत्ता, चपल, ग्यालन र जर्किनआदि) प्रभित के.जी | ११५० | |
| ५. | खाली बोरा : | | |
| | ५० के.जी सम्म खाद्यान्न अँट्ने प्लाष्टिकका बोरा प्रति गोटा | ०१०५ | |
| | ५० के.जी. सम्म खाद्यान्न अँट्ने जुटका बोरा प्रति गोटा | ०१०५ | |
| | १०० के.जी. सम्म खाद्यान्न अँट्ने जुटका बोराप्रभित | ०१०५ | |
| ६. | तेलको टिन : | | |
| | १० लिटरभन्दा बढी अँट्ने ठूलो प्रति गोटा | ०११५ | |
| | १० लिटरभन्दा कम अँट्ने सानो प्रभित गोटा | ०११० | |
| ७. | पुनः प्रशोधन (रिसाइकलि.) गरी पुनः प्रयोग हुन सक्ने भिण्डु (प्राकृतिक र कृत्रिम उनका टुक्रा) प्रति के.जी | ०१५० | |
| | गार्मेण्टको कपडाको टुक्रा प्रति के.जी. | ०१५० | |
| | जलेको मोविल प्रति लिटर | ०१७५ | |
| | जुट र प्लाष्टिकका बोरा प्रति के.जी. | ०१७५ | |
| | कार्पेटका टुक्रा प्रति के.जी. | २१ | |
| | टायरट्यूब प्रति के.जी. | २१ | |
| | थोत्रो टिन प्रति के.जी. | २१ | |
| | पुरानो ड्रम प्रति के.जी. | २१ | |
| | पुराना कागज (अखबार, न्यूजप्रिन्ट) प्रति के.जी. | २१ | |

| | | | |
|----|---|-----|--|
| | पुराना अन्य कागज (कार्टुन समेत) प्रति के.जी. | १। | |
| | धातुका टुक्राहरू र पत्रुभइ काम नलाग्ने भएका धातु सामानहरू | २। | |
| | (क) फलाम प्रति के.जी. | ३। | |
| | (ख) अन्य धातु (पित्तल, तामा आदि) प्रति के.जी. | ८। | |
| | (ग) थोत्रिएर काम नलाग्ने मेशिनरी औजार प्रति के.जी. | ५। | |
| | पोलिथिन पाइपका टुक्राहरू प्रति के.जी. | ४। | |
| | सिसा (लिड) को धुलो वा टुक्रा प्रति के.जी. | ३। | |
| | काँचको धुलो र टुक्रा प्रति के.जी. | ७। | |
| ग) | प्रचलित कानूनले निषेध गरिएको जीवजन्तु वाहेकका अन्य मृत वा मारिएका जीवजन्तुको हाड, सिङ, प्वाँख, छाला | | |
| | हाँस, कुखुरा जस्ता पंछीहरूको प्वाँख प्रति के.जी. | २। | |
| | हाड प्रति के.जी. | १। | |
| | सिंग प्रति के.जी. | १। | |
| | खुर प्रति के.जी. | १। | |
| | छाला (ठूलो) प्रति गोटा | ३०। | |
| | छाला (सानो) प्रति गोटा | १५। | |

अनुसूची ७
 ऐनको दफा ७ को उपदफा(२) संग सम्बन्धित
सवारी साधन करको दर

| क्र.स. | सवारी साधनको किसिम | वार्षिक करको दर (रकमरु) |
|--------|-------------------------------|-------------------------|
| १. | टाँगा | ५०० |
| २. | रिक्सा | ४०० |
| ३. | अटोरिक्सा/टेम्पो | १५०० |
| ४. | विद्युतीय (रिक्सा तथा स्कुटर) | ६०० |

अनुसूची ८
 ऐनको दफा ८ को उपदफा(१) संग सम्बन्धित
विज्ञापन करको दर

| | विज्ञापन कर प्रति वर्ग फुट | पटके | वार्षिक |
|---|--|------|---------|
| १ | होडिड बोर्ड, नियोन साइन तथा अन्य ठुला विद्युतीय बोर्डहरु | | १०० |
| २ | ग्लो साइनवर्ड, डि.पि.एस. आदि | | ८५ |
| ३ | भित्ति लेखन | ८ | |
| ४ | तुल व्यानर | ८ | |

अनुसूची ९
 ऐनको दफा ९ को उपदफा(१) संग सम्बन्धित
मनोरञ्जन करको दर

| क्र.स. | मनोरञ्जन व्यवसायको किसिम | वार्षिक करको दर | कैफियत |
|--------|---|---------------------|--------|
| | | (रकम रु) | |
| १. | सिनेमा हल, सांस्कृतिक प्रदर्शनहल, थियटर सङ्गीत, मनोरञ्जन प्रदर्शनस्थल, मेला महोत्सव | प्रदेश कानून बमोजिम | |
| २. | जादु, सर्कस, चटक, मेला, महोत्साव, कन्सर्ट आदि | प्रदेश कानून बमोजिम | |

अनुसूची १०
 ऐनको दफा १०को उपदफा(१) संग सम्बन्धित
बहाल बिटौरी शुल्कको दर

| क्र.सं. | सम्पत्तिको किसिम | शुल्कको दर | कैफियत |
|---------|--|---------------------|--------|
| | | प्रति वर्गफुट | |
| १. | व्यक्ति वा संस्थाले आफ्नो मनामानी ढङ्गले सार्वजनिक स्थल तथा सडक सिमा मिचि निर्माण गरी उपभोग गरिरहेका संरचना आवासको प्रयोग भएका | | |
| | क) अस्थायी कच्ची टहरा | रु. २१०० | |
| | ख) कच्ची भवन | रु. २१५० | |
| | ग) आर.सि.सि. भवन | रु. ४१०० | |
| | घ) आल्मुनियम, फलाम टिनले बनेका संरचना | रु. ४१०० | |
| | व्यवसायिक प्रयोजनमा प्रयोग भएका | | |
| | क) अस्थायी कच्ची टहरा | रु. ३१०० | |
| | ख) कच्ची भवन | रु. ३१५० | |
| | ग) आर.सि.सि. भवन | रु. ५१०० | |
| | घ) आल्मुनियम, फलाम टिनले बनेका संरचना | रु. ५१०० | |
| २. | संरचना नभएका तर खेति तथा अन्य प्रयोजनमा प्रयोग भएका जग्गाहरुको वार्षिक प्रतिरोपनी | रु. ५००।०० | |
| ३. | व्यापार व्यवसाय प्रवर्द्धनको लागि राखिने छोटो समयको लागि चोक, फुटपाथमा राखिने स्टल | दैनिक रु. ५००।०० | |
| ४. | फुटपाथ, चौपारी तथा सार्वजनिक स्थानका साना पसलहरु (जस्तै, तरकारी, फलफुल, चटपट आदी | दैनिक रु. ७५।०० | |

अनुसूची ११
 ऐनको दफा ११को उपदफा(१) संग सम्बन्धित
पार्किङ्ग शुल्कको दर

| सवारी साधनको विवरण | पार्किङ्ग शुल्क दर दैनिक |
|----------------------------|--------------------------|
| बस, ट्रक, ट्रीपर, टयाङ्कुर | रु. ६०।०० |
| मिनीबस, मिनीट्रक | रु. ५०।०० |
| जीप, कार भ्यान | रु. ३०।०० |
| मोटरसाइकल | रु. १०।०० |
| ट्याक्टर | रु. ४०।०० |
| ब्याकहो लोडर | रु. १००।०० |

अनुसूची १२

ऐनको दफा १२ को उपदफा(१), (२) र (३) संग सम्बन्धित

सेवा शुल्क, दस्तुरको दर

| सिफारिस दस्तुर | दर रु. |
|--|-----------|
| निवेदन दर्ता दस्तुर | १० |
| निवेदन फाराम | १५ |
| विटौरी इजाजत दस्तुर | ५०० |
| नक्सा निवेदन किताव | १००० |
| घर निर्माण नक्साको नक्कल प्रतिपाना | १५ |
| नक्सापास नामसारी आर.सि.सि | ३००० |
| नक्सापास नामसारी कच्ची घर | १००० |
| नक्सापास संशोधन | ३००० |
| नक्सापास म्याद थप नक्सापास दस्तुरमा | ५ प्रतिशत |
| सर्जमिन दस्तुर प्राविधिक समेत जानु पर्नेमा | ७०० |
| प्राविधिक प्रतिवेदन | ५०० |
| निर्माण सम्पन्न प्रमाण पत्र | १००० |
| अस्थायी निर्माण सम्पन्न प्रमाण पत्र (एक तला ढलान भएपछि) | १००० |
| नक्शा व्यवस्थापन शुल्क | २००० |
| नक्शा व्यवस्थापन शुल्क ग्रामीण मोटरबाटोले छोएका | १५०० |
| नक्शा व्यवस्थापन शुल्क ग्रामीण मोटरबाटोले नछोएका | ५०० |
| नागरिकता सिफारिस नयाँ अनुसुची, निवेदन फाराम ६५ निवेदन १० नागरिकता सिफारिस ५० | १२५ |
| नागरिकता सिफारिस प्रतिलिपि अनुसुची, निवेदन फाराम ११५ निवेदन १० नागरिकता सिफारिस ५० | १७५ |
| नागरिकता सिफारिस अंगिकृत | २००० |
| राहदानी (Passport)फोटो प्रमाणित | २०० |
| बिद्युत जडान सिफारिस | ५०० |
| बिद्युत थ्रिफेज जडान सिफारिस | २००० |
| बिद्युत, टेलीफोन, धारा, व्यवसाय नामसारी | ७०० |
| कन्सुलर प्रमाणित प्रतिपाना | १०० |
| सम्पत्ति कर रसिद प्रतिलिपी | ४० |
| प्रतिलिपि प्रतिपाना | १० |
| प्रतिलिपि प्रमाणित प्रतिपाना | १० |
| खानेपानी धारा जडान सिफारिस | |
| व्यक्तिगत धारा | ५०० |

| | |
|---|-----------|
| सामुहिक धारा प्रति सदस्य | ३००/३०० |
| संस्थागत धारा | १००० |
| घरपालुवा कुकुर दर्ता नवीकरण | १००० |
| घरबाटो प्रमाणित प्रतिकिता तर ३ आना भन्दा कम क्षेत्रफल हुन आउने जग्गामा जति कित्ता भए पनि रु. ५००) | ५०० |
| सेस्ता कायम सिफारिस | निशुल्क |
| जग्गा दर्ता सिफारिस | २००० |
| अंग्रेजीमा सिफारिस | ७०० |
| अंग्रेजी सिफारिस फोटो प्रमाणित सहित | ८०० |
| चार किल्ला प्रमाणित ग्रामीण (१ रोपनी देखि माथि प्रतिरोपनी रु ५०१ थप) | ७५० |
| चार किल्ला प्रमाणित शहरी (८ आना देखि माथि प्रति आना रु. २५) | १००० |
| सम्बन्ध विच्छेद सिफारिस दुवै तर्फ १०००/१००० | १०००/१००० |
| जग्गाधनी पुर्जा/प्रतिलिपि सिफारिस | ५०० |
| जग्गाधनी पुर्जामा घर कायम सिफारिस | ५०० |
| पेन्सन सम्बन्धी सिफारिस | १००० |
| नाम थर फरक सिफारिस | ७०० |
| घर जग्गा नामसारी सिफारिस | १००० |
| औद्योगिक प्रयोजन सिफारिस | १००० |
| अंशवण्डा सिफारिस | ८०० |
| वैदेशिक काम प्रयोजनको सिफारिस भारत बाहेक अन्य देश | १००० |
| भारतको लागि कुनै पनि सिफारिस | ३०० |
| गरीब तथा विपन्न सिफारिस | निशुल्क |
| दलित तथा जनजाति, नाबालक सिफारिस | १०० |
| कुनै पनि संघ संस्था क्लब खोल्ने सिफारिस | १५०० |
| संघ संस्था नवीकरण सिफारिस (अडिट रिपोर्टको आधारमा) | |
| कारोबार नै नभएको वा २ लाख भन्दा कम कारोबार भए | ५०० |
| ५ लाख सम्म कारोबार भएकोलाई | १५०० |
| दुई लाख सम्म कारोबार भएकोलाई | ३००० |
| दुई लाख भन्दा माथि कारोबार भएकोलाई | ५००० |
| बैंक, फाइनान्स, सटही काउण्टर खोल्ने सिफारिस | ३००० |
| क वर्ग | १०००० |
| ख वर्ग | ७००० |
| ग वर्ग | ५००० |
| घ वर्ग | ३००० |

| | |
|--|---------|
| सवारी लाइसेन्स सिफारिस | १००० |
| चरित्र सम्बन्धी प्रहरी लगायत अन्य संघ संस्थामा सिफारिस | ५०० |
| छात्रवृत्ति सिफारिस | निशुल्क |
| स्थायी बसोबास प्रमाणित | २०० |
| नोकरी अवधि तथा विदाको सिफारिस | ५०० |
| बन्द कोठा, घर, पसल आदि खोल्ने मुचुल्का | १५०० |
| वडाबाट पनि सिफारिस गर्नु पर्नेमा थप | |
| कच्चीघर भत्काउने इजाजत | १००० |
| पक्की घर भत्काउने इजाजत | ३००० |
| नाता प्रमाणित नेपालीमा | २०० |
| नाता प्रमाणित अंग्रेजीमा | ७०० |
| जन्म, विवाहित, अविवाहित प्रमाणित | ५०० |
| मृत्यु प्रमाणित (२०३७ साल चैत्र मसान्त भन्दा अगाडिको) | निशुल्क |
| मृत्यु प्रमाणित | १०० |
| जन्म दर्ता संशोधन सिफारिस | १००० |
| हकवाला संरक्षण सम्बन्धी सिफारिस | ५०० |
| बकसपत्र | २००० |
| अपुताली | ३००० |
| व्यक्तिगत घटना दर्ता जरिवाना | २०० |
| मोही सिफारिस | १५०० |
| अमिन दस्तुर | २५०० |
| जनजाति, दलित प्रमाणित | २०० |
| सर्जमिन दस्तुर | ५०० |
| व्यवसाय दर्ता प्रमाण पत्र | ३०० |
| व्यवसाय दर्ता प्रमाण पत्र प्रतिलिपि | ३०० |
| व्यवसाय दर्ता दस्तुर | ५०० |
| व्यवसाय ठाउँसारी/नामसारी | ५०० |
| व्यवसाय बन्द सिफारिस | ३०० |
| उद्योग ठाउँसारी | १००० |
| करचुक्ता प्रमाण पत्र नेपालीमा | २०० |
| सनाखत सिफारिस | ५०० |
| भरुवा बन्दुक नवीकरण | ३०० |
| नेपाली कागजको फाराम प्रतिगोष्ठा | २५ |
| विशेष सूविधा प्राप्त गर्ने अन्य सिफारिस | १००० |

| | |
|---|-------|
| अन्य सिफारिस | ५०० |
| अन्य कल्याणकारी सिफारिस | २०० |
| तमसुक प्रमाणित | २०० |
| सम्पति मूल्याङ्कन तथा आयश्रोत प्रमाणित सयकडा ०.२५ | |
| मिलापत्र दस्तुर दुवै पक्षबाट २०० का दरले | ४०० |
| कोटेशन, टेण्डर फाराम आर्थिक प्रशासन नियमावली बमोजिम हुनेछ । | |
| घर मुल्याङ्कन | |
| क. १००० वर्गफुट सम्म | ६०० |
| ख. १००१ देखि १५०० वर्गफुट सम्म | ८०० |
| ग. १५०१ देखि २००० वर्गफुट सम्म | १००० |
| ३. २००१ देखि ३००० वर्गफुट सम्म | १५०० |
| ड. ३००० वर्गफुट देखि माथि | २५०० |
| विद्यालय खोल्ने स्वीकृतिको लागि सिफारिस | |
| पुर्व प्राथमिक तथा मन्देश्वरी | २५०० |
| आधारभुत | ४००० |
| मा.वि. | ८००० |
| क्याम्पस | १०००० |
| प्राविधिक शिक्षण संस्था | ७००० |
| स्तरोन्नति सिफारिस | १००० |
| रुख कटान | |
| क. आफ्नै जग्गामा कटान गर्ने विक्री नगर्ने) | १००० |
| खं. काठ कटान गरी विक्री गर्ने (प्रति घनफूट) | १० |
| सडक फोड्ने इजाजत धरौटी ५० प्रतिशत कट्टा हुने | |
| पिच सडक तथा आर.सि.सि. प्रति मि. धरौटी | १०००० |
| ढुङ्गा छाप्नेको बाटो प्रति मि. धरौटी | ५००० |
| पिच सडक तथा आर.सि.सि. प्रति मि. इजाजत | १००० |
| ढुङ्गा छाप्नेको बाटो प्रति मि. इजाजत | १००० |
| अन्य प्रति वर्गमिटर | ५०० |
| उद्योग स्थापना सिफारिस | |
| क. ५ लाख सम्म पूँजीभएको | १००० |
| ख. ५ लाख भन्दा बढी पूँजी भएको | २००० |
| अध्ययन अवलोकन दस्तुर | |
| क. निजी नर्सिङ क्याम्पस प्रति विद्यार्थी | ७५ |
| ख. सामूदायिक नर्सिङ क्याम्पस प्रति विद्यार्थी | ४० |

| | |
|---|---------|
| ग. शोधपत्र तथा अन्य अध्ययन | २००० |
| सडक उपभोग शुल्क | |
| बस, ६ चक्का को ट्रक | ४० |
| ट्रीपर, १०/१२ चक्काको ट्रक | ६० |
| मिनीबस, मिनीट्रक, ट्याक्टर | ३० |
| जीप, कार, भ्यान, ट्याम्पो, ट्याक्स (नगर क्षेत्र भित्रबाट चल्ने समेत) | २० |
| भारतीय नम्बर प्लेटका सवारी साधन | १०० |
| ब्याकहो लोडर | १५० |
| ऐतिहासिक स्थल, पुरातात्विक स्थल एवं धार्मिक महत्वका सम्पदाको प्रवेश शुल्क | |
| श्रीनगर पार्क | |
| प्रवेश शुल्क प्रति व्यक्ति | २० |
| प्रवेश शुल्क प्रति व्यक्ति विद्यार्थी | १० |
| ५ वर्ष भन्दा मुनिकोलाई र अपाङ्गता भएका र जेष्ठनागरिक | निशुल्क |
| सार्क क्षेत्र नागरिक प्रतिव्यक्ति | ५० |
| अन्य मूलक नागरिक प्रतिव्यक्ति | १०० |
| वनभोज/पिकनिक शुल्क | |
| १० जना सम्म | २०० |
| २२० जना सम्म | ४०० |
| ४० जना सम्म | ८०० |
| ७० जना सम्म | १५०० |
| १०० जना सम्म | १८०० |
| १०० भन्दा माथि (थप प्रति व्यक्ति प्रवेश शुल्क समेत लाग्ने) | २५०० |
| ड्राई पिकनिक प्रति समुह | १०० |
| चलचित्र छायाङ्कन शुल्क | |
| फिचर फिल्म सुटिङ्ग प्रतिदिन | ५००० |
| टेलीफिल्म सुटिङ्ग प्रतिदिन | १५०० |
| बृत्तचित्र सुटिङ्ग प्रतिदिन | ५०० |
| श्रीनगर भ्यूटावर प्रवेश शुल्क | २५ |
| रानीघाट दबार | |
| प्रवेश शुल्क प्रति व्यक्ति साधारण | ५० |
| प्रवेश शुल्क प्रति व्यक्ति विद्यार्थी | ३५ |
| ५ वर्ष भन्दा मुनिकोलाई र अपाङ्गता भएका र जेष्ठनागरिक | निशुल्क |
| सार्क क्षेत्र नागरिक प्रतिव्यक्ति | ८० |

| | |
|---|-------|
| अन्य मुलुक नागरिक प्रतिव्यक्ति | १५० |
| दर्ता, अनुमति नवीकरण दस्तुर | |
| क) सहकारी संस्था | ५००० |
| ख) एफ.एम. रेडियो | १०००० |
| घ) संस्थागत विद्यालय स्थापना | १०००० |
| ड) ट्युसन तथा कोचिङ्ग सेन्टर | २५०० |
| च) औषधि पसल | ४००० |
| छ) स्थानीय व्यापारिक फर्म | १०००० |
| ज) अन्य सेवा तथा व्यवसायको प्रकृतिको आधारमा | |

नक्सा पास दस्तुर
आर.सि.सि. भएका भवनमा

| क्र.स. | विवरण | दर प्रति वर्गफुट | धरौटी | दस्तुर |
|--------|--|------------------|-------|--------|
| १ | मालपोत मुल्याङ्कन दररेट अनुसार १ करोड भन्दा माथिका मुल्याङ्कनमा पर्ने जग्गाहरुमा | | | |
| | जमिन तला प्रति वर्गफिट | | ८१०० | ८१०० |
| | पहिलो तला प्रति वर्गफिट | | ८१५० | ८१५० |
| | दाश्रो तला प्रति वर्गफिट | | ९१०० | ९१०० |
| | तेश्रो तला प्रति वर्गफिट | | ९१५० | ९१५० |
| | चौथो तला प्रति वर्गफिट | | १०१५० | १०१५० |
| २ | मालपोत मुल्याङ्कन दररेट अनुसार ५० लाख देखि १ करोडसम्म मुल्याङ्कनमा पर्ने जग्गाहरुमा | | | |
| | जमिन तला प्रति वर्गफिट | | ७१५० | ७१५० |
| | पहिलो तला प्रति वर्गफिट | | ८१०० | ८१०० |
| | दोश्रो तला प्रति वर्गफिट | | ८१५० | ८१५० |
| | तेश्रो तला प्रति वर्गफिट | | ९१०० | ९१०० |
| | चौथो तला प्रति वर्गफिट | | ९१५० | ९१५० |
| ३ | मालपोत मुल्याङ्कन दररेट अनुसार ३० देखि ५० लाखसम्म मुल्याङ्कनमा पर्ने जग्गाहरुमा | | | |
| | जमिन तला प्रति वर्गफिट | | ६१५० | ६१५० |
| | पहिलो तला प्रति वर्गफिट | | ७१०० | ७१०० |
| | दोश्रो तला प्रति वर्गफिट | | ७१५० | ७१५० |
| | तेश्रो तला प्रति वर्गफिट | | ८१०० | ८१०० |
| | चौथो तला प्रति वर्गफिट | | ९१०० | ९१०० |

| | | | |
|---|---|-------|-------|
| ४ | मालपोत मुल्याङ्कन दररेट अनुसार ३० लाखसम्मको मुल्याङ्कनमा पर्ने जग्गाहरूमा | | |
| | जमिन तला प्रति वर्गफिट | ६१०० | ६१०० |
| | पहिलो तला प्रति वर्गफिट | ६१५० | ६१५० |
| | दोश्रो तला प्रति वर्गफिट | ७१०० | ७१०० |
| | तेश्रो तला प्रति वर्गफिट | ७१५० | ७१५० |
| | चौथो तला प्रति वर्गफिट | ८१५० | ८१५० |
| ५ | आर.सि.सि. बाहेकका भवनमा | | |
| | इटा, ढुङ्गा, ब्लक सिमेन्टको गाह्रो टिन, टायलको छाना प्रति वर्ग फुट | ५१०० | ५१०० |
| | इटा, ढुङ्गा, ब्लकको गाह्रो माटोको जोडाइ टिन, टायलको छाना प्रति वर्ग फुट | ४१५० | ४१५० |
| | ट्रसमा टिनका छाना | ३१०० | ३१०० |
| | अस्थायी घर टाटीले बारेको | २१५० | २१५० |
| ६ | अन्य निर्माण | | |
| | कम्पाउण्ड वाल (४ फिटको नक्सा सहित पेश भएमा) | ५१५० | ५१५० |
| | काँडे तार फेन्सिङ प्रति वर्गफुट | ३१५० | ३१५० |
| | घर मर्मत इजाजत दस्तुर प्रति वर्गफुट | ११५० | ११५० |
| | थप निर्माण दस्तुर प्रति वर्गफुट | १२१०० | १२१०० |
| ७ | अभिलेखीकरण शुल्क | | |
| | प्रमाण पत्र शुल्क | ४००० | ४००० |
| | साविक गा.वि.स हुदा बनेका घरहरू: नक्साको क्षेत्रफल अनुसार नक्सापास दस्तुर | | |
| | स्थानीय तहको पुन संरचना पछि नक्सा पास प्रक्रियामा नआइ बनेको घरहरू: नक्साको क्षेत्रफल अनुसार नक्सापास दस्तुर र शत प्रतिशत जरिवाना | | |
| | नक्सापास प्रकृत्यामा आइ बनेका तर नक्सा भन्दा फरक निर्माण भएका घरहरू: नक्सापास भन्दा बढी बनेको संरचनाको नक्सापास दस्तुर र सो को दोब्बर जरिवाना | | |

सरसफाइ शुल्क

| सि.नं. | विवरण | दैनिक सेवा प्रदान हुने स्थान | अन्य सेवा प्रदान हुने स्थान |
|----------|---|---------------------------------|--------------------------------|
| | | मासिक दर | मासिक दर |
| क | घरधनीलाई मासिक (घरको क्षेत्रफलको आधारमा) | | |
| १) | १५०० वर्गफुटसम्म | रु. ६०। | रु. ३० |
| २) | १५०१ देखि २५०० वर्गफुट सम्म | रु. ६५। | रु. ४० |
| ३) | २५०१ देखि ३००० वर्गफुटसम्म | रु. ७०। | रु. ४५ |
| ४) | ३००० भन्दा बढी वर्गफुट | रु. ७५। | रु. ५५ |
| ख | पसल बाहेक कोठा भाडामा प्रयोग भएको घर | | |
| १ | पसल बाहेक कोठा भाडामा प्रयोग भएको पक्की घर | रु. २००। | रु. १००। |
| २ | पसल बाहेक कोठा भाडामा प्रयोग भएको कच्ची घर | रु. १०० | रु. ५०। |
| ग | होटल/रिसोर्ट | | |
| १ | क वर्गको लागि | रु. १५००। | रु. ९००। |
| २ | ख वर्गको लागि | रु. १२००। | रु. ७००। |
| ३ | ग वर्गको लागि | रु. १०००। | रु. ६००। |
| घ | रेष्टुरेण्ट/गेष्टहाउस/खाजा घरका लागि | | |
| १ | गेष्ट हाउस | रु. ७००। | रु. ३५०। |
| २ | रेष्टुरेण्ट/खाजा घरका लागि | रु. ४५०। | रु. २५०। |
| ३ | चियापसल/जलपान गृहका लागि | रु. २००। | रु. १००। |
| ङ | पार्टी प्यालेस/पार्टी भेन्यु/बेन्क्युट/तालिम केन्द्र | | |
| १ | पार्टी प्यालेस/पार्टी भेन्यु/बेन्क्युटका लागि | रु. ६००। | रु. ३५०। |
| २ | तालिम केन्द्र | रु. ८००। | रु. ५००। |
| ३ | मनोरञ्जन पार्क/पिकनिक स्पट | रु. १३००। | रु. ७००। |
| च | तरकारी तथा फलफुल पसल | | |
| १ | थोक विक्रेताका लागि | रु. ६५०। | रु. ४००। |
| २ | खुद्रा विक्रेताका लागि | रु. ४५०। | रु. २५०। |
| छ | अस्पताल तथा नर्सिङ होम | | |
| १ | अस्पतालको लागि | रु. १५०००। | रु. १०००० |
| २ | नर्सिङ होमका लागि | रु. १५०००। | रु. १००००। |
| ३ | मेडिकल | रु. ५००। | रु. २००। |
| ज | सरकारी/ गैर सरकारी कार्यालय/ शिक्षण संस्थाहरु | | |
| १ | सरकारी कार्यालयहरु | रु. १०००। | रु. ६००। |
| २ | शिक्षण संस्था/गैर सरकारी कार्यालयहरु | रु. १८००। | रु. १०००। |
| ३ | विश्व विद्यालयका लागि | रु. ५०००। | रु. ३०००। |

| क्र | पसल/कवाडी/ग्यारेज/उद्योग | | |
|-----|--|-----------|-----------|
| १ | सवै प्रकारको पसल | रु. २५०१ | रु. १५०१ |
| २ | कवाडी पसल | रु. ७५०१ | रु. ४००१ |
| ३ | हजाम | रु. २००१ | रु. १००१ |
| ४ | ग्यारेज | रु. १०००१ | रु. ७००१ |
| ५ | साना घरेलु उद्योगका लागि | रु. ४००१ | रु. २५०१ |
| ६ | पोल्ट्री फर्म लागि | रु. १२००१ | रु. ८००१ |
| ७ | पोल्ट्री ह्याचरी फर्म | रु. ३०००१ | रु. १८००१ |
| ब | अनकल सर्भिस | | |
| १ | प्रति १०० मिटर दुरीको (फोहर मैला उठाउने स्थान देखि फोहर व्यवस्थापन गर्ने स्थान सम्म) | १००१ | |

नोट:

१. सरसफाइ शुल्क भुक्तानी नगर्ने सेवार्थीलाई सेवा दिन नगरपालिका बाध्य हुने छैन ।
२. तोकिएको सरसफाइ शुल्क वार्षिक रुपमा बुझाउन सकिनेछ ।

सुचीकृत शुल्क

नगरपालिका क्षेत्र भित्र निर्माण कार्यमा संलग्न देहायका सामानहरुमा देहाय बमोजिम वार्षिक सुचीकृत शुल्क लगाई असुल उपर गरिनेछ ।

| क्र.स. | विवरण | वार्षिक सुचीकृत शुल्क |
|--------|--|-----------------------|
| १ | स्काभेटर (प्रति थान) | रु. १२०००१०० |
| २ | ब्याकहो लोडर | रु. ७५००१०० |
| ३ | पानी बोक्ने टयाङ्कर | रु. ३०००१०० |
| ४ | गैर सरकारी संघ संस्था सुचीकृत तथा नवीकरण | |
| | १. नयाँ सुचीकरण तथा नवीकरण | |
| | क. ५ लाखसम्म कारोबार गर्ने | रु. ५००१०० |
| | ख. १० लाखसम्म कारोबार गर्ने | रु. १०००१०० |
| | ग. २५ लाखसम्म कारोबार गर्ने | रु. २०००१०० |
| | ३. ५० लाखसम्म कारोबार गर्ने | रु. २५००१०० |
| | ड. ५० लाख भन्दा बढी कारोबार गर्ने सबैमा | रु. ४०००१०० |
| | अन्य | रु. ५००१०० |

नोट: सम्बन्धित व्यवसायीले हरेक आर्थिक बर्षको श्रावण महिना भित्र सुचीकृत गरीसक्नु पर्नेछ । यसका लागि सुचनापाटी तथा सार्वजनिक संचार माध्यमबाट सुचना प्रकाशित गरिनेछ र सो सुचनाको म्याद भित्र सुचीकृत नगरेमा अन्य समयमा सुचीकृत गर्न नगरपालिका बाध्य हुने छैन ।

अनुसूची १३

ऐनको दफा १३ को उपदफा (३) संग सम्बन्धित

विक्री तथा निकासी शुल्क दस्तुरको दर

| क्र. सं. | विक्री तथा निकासी हुने बस्तु | शुल्क दस्तुर (रकम रु) | कैफियत |
|----------|---|--------------------------|--------|
| १. | प्राकृतिक एवं खानीजन्य वस्तुहरुको विक्री प्रति घनफीट : | | |
| | क) ढुंगा | ३ | |
| | ख) गिट्टी | ३ | |
| | ग) बालुवा | ३ | |
| | घ) माटो/दहत्तर/वहरत्तर | १ | |
| | ङ) काठ दाउरा | ३ | |
| | च) जराजुरी | २ | |
| | छ) स्लेट | ४ | |
| २. | आफ्नो सीमाक्षेत्र भन्दा बाहिर निकासी हुने प्राकृतिक एवं खानीजन्य वस्तुको निकासी प्रति घनफीट : | | |
| | क) ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, | ११५ | |
| | ख) माटो | ०१५० | |
| | ग) काठ दाउरा | ११५ | |
| | घ) जराजुरी | १ | |
| | ङ) स्लेट | २ | |
| | | | |

अनुसूची १४
(ऐनको दफा १५ (२) सँग सम्बन्धित)
दण्ड जरिवाना

| सि.नं. | विवरण | दररेट |
|--------|--|------------|
| १ | नक्सा पास नगरी डि.पि.सी. गरेमा वा तला थप गरेमा नगरप्रमुखको निर्णय अनुसार रु. ५००० देखि माथि जरिवाना लाग्ने छ। स्वीकृत नक्सा भन्दा डि.पि.सी.को थपघट गरेमा लागेको दस्तुरका ५० प्रतिशत जरिवाना लाग्नेछ। अस्थायी टहरा तथा कच्ची घर निर्माण गरेमा नगर प्रमुखको निर्णय अनुसार १००० देखि माथि जरिवाना लाग्ने छ। | |
| २ | अनुमति नलिई जग्गा प्लटिङ गरी अनुमति माग गर्न आएमा शत प्रतिशत जरिवाना लाग्नेछ। | |
| ३ | निर्माण सम्पन्न प्रमाण पत्र दिदा नक्सा पास अनुसार संरचना निर्माण नगरेका तर निर्धारित मापदण्ड पुरा भएका संरचनाहरूको हकमा प्रति वर्ग फिट | रु. १२ |
| ४ | न.पा.मा तिनू पर्ने कर चालु आ.व.मा नबुझाएमा (सम्पत्ति कर र व्यवसाय करमा सोको व्यवस्था अनुसार र अन्यमा | १० प्रतिशत |
| ५ | व्यवसाय करमा | २० प्रतिशत |
| ६ | सम्पत्ति करमा पहिलो बर्ष २० प्रतिशत, दोश्रो बर्ष देखि ३० प्रतिशत | |
| ७ | तोकेको स्थान बाहेक अन्यत्र सडक पेटी, पुरातात्विक सम्पदा स्थलमा सवारी साधन पार्किङ गरेमा | |
| क | पहिलो पटक | ५०० |
| ख | दोस्रो पटक | १००० |
| ग | तेस्रो पटक | २००० |
| घ | चौथो पटक | ५००० |
| ङ | पाँचौ पटकमा सवारी नियन्त्रणमा लिइ सुरक्षा निकायमा जिम्मा लगाइने छ। | १०००० |
| ७ | व्यवसायमुलक सामान सडक पेटीमा राखेमा | |
| क | पहिलो पटक | ५०० |
| ख | दोस्रो पटक | १००० |
| ग | तेस्रो पटक | २००० |
| घ | चौथो पटक | ५००० |
| ङ | पाँचौ पटक सामान जफत गरिने र विगो सहित | १०००० |
| ८ | होडिङ बोर्ड, फ्लेक्स बोर्ड, साईवोर्ड सडक पेटीमा राखेमा | |
| क | पहिलो पटक | ५०० |
| ख | दोस्रो पटक | १००० |
| ग | तेस्रो पटक | २००० |
| घ | चौथो पटक | ५००० |
| ङ | पाँचौ पटक सामान जफत गरिने र विगो सहित | १०००० |
| ९ | निर्माण समाप्ती | |
| क | पहिलो पटक | ५०० |
| ख | दोस्रो पटक | १००० |
| ग | तेस्रो पटक | २००० |
| घ | चौथो पटक सामान जफत गरिने र विगो सहित | १०००० |
| १० | सार्वजनिक सम्पत्ति क्षति | |

| | | |
|----|--|------------------------------------|
| क | क्षतिको मुल्याङ्कन गरी सोको दोब्बर र (कानुनी कारवाहीको लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय पठाउने) | |
| ११ | सडक सीमा र सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी घर/टहरा/पर्खाल र अन्य संरचना निर्माण गर्ने | |
| क | पहिलो पटक | ३००० |
| ख | दोस्रो पटक | १०००० |
| ग | तेस्रो पटकमा न.पा.बाट प्रदान गरिने सेवा सुविधा रोक्का गरिनुका साथै विगो सहित उल्लेखित दरमा जरिवाना गरी संरचना भत्काइने छ । | २५००० |
| १२ | सार्वजनिक स्थलमा फोहर फालेमा | |
| क | पहिलो पटक | ५०० |
| ख | दोस्रो पटक | १००० |
| ग | तेस्रो पटकमा न.पा.बाट प्रदान गरिने सेवा सुविधा रोक्का गरिनुका साथै विगो सहित | ५००० |
| १३ | अनाधिकृत रुपमा माटो, ढुङ्गा, बालुवा, गिट्टी, काठ आदि प्राकृतिक जन्य पदार्थ ओसार पसार गरेमा | |
| क | पहिलो पटक | |
| | ट्रयाक्टर | १०००० |
| | ६ चक्के ट्रिपर ट्रक | २०००० |
| | १० चक्के ट्रिपर ट्रक | ३०००० |
| ख | दोस्रो पटक | |
| | ट्रयाक्टर | २०००० |
| | ६ चक्के ट्रिपर ट्रक | ४०००० |
| | १० चक्के ट्रिपर ट्रक | ६०००० |
| | जरिवाना काटी सामान जफत गरिने | |
| ग | तेस्रो पटक | |
| | ट्रयाक्टर | ३०००० |
| | ६ चक्के ट्रिपर ट्रक | ६०००० |
| | १० चक्के ट्रिपर ट्रक | ९०००० |
| | जरिवाना काटी सामान र सवारी साधन जफत गरिने | |
| १४ | न.पा.को स्वीकृत विना ढुङ्गा, माटो लगायत प्राकृतिक जन्य स्रोत उत्खनन् गरेमा | स्वीकृतको लागि लाग्ने रकमको तेब्बर |
| १५ | अनाधिकृत रुपमा माटो, ढुङ्गा, बालुवा, गिट्टी आदि प्राकृतिक जन्य पदार्थ उत्खननमा प्रयोग भएको व्याकहो लोडर तथा स्काभेटर | प्रति गोटा २५००० |

नोट:

- माथि जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि प्रचलित कानूनमा तोकेको दण्ड जरिवाना सोही अनुसार हुनेछ ।
- जरिवाना वापत असूल भएको रकमको २५ प्रतिशत जानकारी गराउने व्यक्तिलाई पुरस्कार स्वरुप उपलब्ध गराइने छ ।

आज्ञाले
(हरिराम नागिला)
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत